हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

अक्टूबर, 2009 वर्ष 8 अंक 8

सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741221
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु0 12/-
वार्षिक	रु0 120/-
विशेष वार्षिक	रु0 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 युएस डालर

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

Visoin Computers- 9838644689

सच्ची बातें (इदारा)

कहा यह रब ने साफ़ सुनो।
मुझ से मांगो मुझ से लो।।
मैं तो निकटमत तुम से हूँ।
दया में सब से बढ़ के हूँ।।
नबी का यह आदेश सुनो।
मांगो रब से जब मांगो।।
जो रब से ना मांगे गा।
गुस्सा रब का पाएगा।।
देवे वह तो रोके कौन।
ना देवे तो देवे कौन।।
कहां किसी में शक्ति यह है।
कष्ट जो दैवी दूर करे।।
किस में यह बल बूता है।
दिये को रब की रोके सके।।
साझी उसका कोई नहीं।
नबी नहीं हां वली नहीं।।
नबी सब उस के बन्दे हैं।
वली सब उसके बन्दे हैं।।
सल्लल्लाहु अलन्नबी ।
रहिमल्लाहु अललवली।।

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

आंतकवाद कारण निवारण	डा0 हारून रशीद सिद्दीकी	3
कुर्आन की शिक्षा	मौ0 मु0 मंजूर नोमानी	5
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	6
कारवाने ज़िन्दगी	मौ0 सैय्यद अबुल हसन अली हसनी	8
जग नायक	मौ0 स0 म0 राबे हसनी	10
सुन्नत, हदीस और बिदअत	मौ0 मुजीबुल्लाह नदवी	12
पति पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य	अल्लामा सय्यिद सुलैमान नदवी	13
दम्पति	इदारा	15
हजरत मुहम्मद सल्ल0 पर नुबुव्वत खत्म हो चुकी	इदारा	17
हिन्दोस्तानी जबान	एम हसन अंसारी	18
हम कैसे पढ़ायें	डॉ. सलामत उल्लाह	19
आप के प्रश्नों के उत्तर	मुफ्ती मो0 ज़फर आलम नदवी	22
अनुसरणीय जीवन	स्वामी लक्ष्मी शंकरा चार्य	26
भारत का संक्षिप्त इतिहास	इदारा	30
एक सम्बोधन	मौ0 अब्दुल्लाह हसनी	34
स्वतंत्रता संग्राम में	मौ0 अब्दुल वकील नदवी	37
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण	इदारा	39
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ	40

खेद : अगस्त अंक पृष्ठ 27 पर **"बच्चों का पालन पोषण"** लेख.मु0 जीशान खाँ हाजी पूरी का है जो गलती से नजमुस्साकिब के नाम से छप गया जिसका हमे खेद है।

आतंकवाद, कारण तथा निवारण

दहशत गर्दी अस्बाब और इलाज

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

आँतक अर्थात भय, आतंकवाद अर्थात भय फैलाने का कर्म अपनाना, इन दिनों आतंकवाद, दहशत गर्दी, टिररइज्म (TERRORISM) से बच्चा बच्चा परिचित भी है और कंपित भी, जब कोई सुनता है कि रेल में धमाका हुआ इतने लोग धाइल हो गये, बस में धमाका हुआ इतने लोग मर गये, बाजार में बम विस्फोट हुआ इतने लोग घायल तथा इतने मरे और इतनी वस्तुएं नष्ट हो गईं। यह खबरें आये दिन अखबारों में छप रही हैं। रेडियो पर सुनाई और टी0वी0 पर दिखाई जा रही हैं। हद हो गई अब तो मस्जिदों और मन्दिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, कुछ भी हो आँतकी इस में सफल हो गये और आज पूरा विश्व भय भीत है। कहा नहीं जा सकता कि स्कूल कालेज जाने वाला विद्यार्थी, (तालिबे इल्म) सहीह सलामत (सुरक्षित) वापस होगा या नहीं? आफिसों में काम करने वाला, कारखानों में काम करने वाला बाजारों में दूकानों पर काम करने वाला, बाजार से सौदा लेने जाने वाला सहीह सलामत (सुरक्षित) घर आए गा या स्पताल दाखिले की खबर आए गी। यहाँ तक कि मस्जिद का नमाजी और मन्दिर का पुजारी भी महफूज़ (सुरक्षित) नहीं। ऐसे में किसी जीव को शान्ति (सुकून) नहीं, जीवन किस प्रकार बिताया जाए?

जहाँ तक जीवन बिताने की बात है तो यह तो बीत के रहेगा, फारसी की मसल है; "बर सरे औलादे आदम हर चे आयद बे गुज़रद।" आदम की सन्तान पर जो हाल भी आता है गुजर जाता है। सूखा आता है आदमी झेलता है; महामारी (वबा) फैलती है आदमी झेल लेता है इसी प्रकार आतंकी काल भी झेल लेगा।

रही बात कि यह कब तक रहेगा? तो सुन लें कि किसी फलसफी ने अपनी घड़ी के डाइल पर लिख रखा था कि यह समय भी न रहेगा। जिस प्रकार किसी समय में ठहराव नहीं उसी प्रकार किसी हाल (दशा) में भी ठहराव नहीं वह तो बदल के रहेगा। इस पर एक उर्दू का शिअर (काव्य) सुनते चलें :

सुकूं मुहाल है कुदरत के कारख़ाने में।
सबात इक इन्क़िलाब को है ज़माने में।।

(अर्थात : इस कुदरत के कारखाने (ब्रह्माण्ड) में ठहराव असम्भव है यहाँ तो ठहराव केवल बदलाव को है।) जब बदलाव होता ही रहता है तो आँतकी काल भी बदल के रहेगा।

कारण (अस्बाब) जिस की बुद्धि से हमारी बात परे होगी वह हम से सहमत (मुत्तफ़िक) काहे को होगा वरना हम तो यही कहें गे कि यह हमारे ही हाथों की कमाई है, हमारे ही कुकर्मों (बुरे कामों) का फल है। जब बड़ी ताकतों ने अत्याचार किया तो जो उन से सामने से मुकाबला न कर सके गोरीला लड़ाई लड़ने लगे। इस गोरिला लड़ाई में भी कुछ बड़ी ताकतों ने जो दूसरी बड़ी ताकत के सामने आना नहीं चाहीं गोरिलों की ट्रेनिंग और हथ्यार से मदद की, बल्कि जन साधारण से गोरीले तय्यार भी किये, इस प्रकार जन साधारण में गोरीलों द्वारा गुप्त आक्रमण, उत्पीड़ितों (मज़लूमों) ने अत्याचारियों (जालिमों) को सबक सिखाने के लिये किया, तो कभी लूट मार करने वालों ने इसे अपनाया, तो कभी धार्मिक पक्षपातियों (मजहबी तअस्सुब वालों) ने इसे इख़्तियार किया और अब अधिकतर मुकाबिल को फंसाने

के लिये ऐसा किया जा रहा है और अब यह वबाए आम (महामारी) की तरह दुन्या में मौजूद है।

निवारण (इलाज) आज सारी दुन्या दहशत गर्दी को ख़त्म करने पर तुली हुई है, फिर भी दहशत गर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, वास्तव में बहुत सी ताकतें दहशत गर्दी खत्म करने के बहाने खुद दहशत (आँतक) फैला रही हैं, इस से दहशत गर्दी कम होने के बजाए और फैलेगी। कोई काम किया जाता है तो उस में गलती भी होती है महामारी काल में कभी भूल से रोगी को दवा गलत पहुँच सकती है परन्तु जब इस का सुबूत मिल गया कि किसी रोगी को जान बूझ कर गलत दवा दी गई अर्थात जब यह सिद्ध हो गया कि मन्सूबा बन्द तरीके से (योजना वध) किसी समुदाय को बिना किये की सजा दी गई या जब यह देखा जा रहा है कि हट्टे कट्टे नव जवानों की तन्जीम (संगठन) लाठी डन्डा तथा तीर कमान, बन्दूक आदि चलाना सीखती सिखाती है उस की अन देखी की जाती है और भारती मदरसे के दुबले पतले नमाज रोजा करने वाले, नाच बाजा, सनीमा, जुआ, शराब से दूर रहने वाले तलबा को दहशत गर्द कहा जाए तो इस बे इन्साफी से दहशत गर्दी खातिमे पर की जाने वाली बहुत सी कोशिशें (प्रयास) बेकार जाएंगी और दहशत गर्दी खत्म होने में देर लगेगी।

दहशत गर्दी खत्म करने के लिये हमारा देश बहुत हद तक नेक नीयत है परन्तु अमरीका, ब्रेतानिया, इस्राईल जैसे देश दहशत गर्दी खत्म करना नहीं चाहते बल्कि उच्च आतंक वाद (अअ़ला दहशत गर्दी) द्वारा अपना प्रभुत्व, अपनी चौधराहट जमाए रखना चाहते हैं। हमारा शासन यदि नेक नीयती से प्रयास करेगा तो हमारे देश से दहशत गर्दी जल्द समाप्त हो जाएगी परन्तु इस में जनता का सहयोग अनिवार्य होगा। हर एक यह बात फैलाए कि बुरे कामों का बुरा परिणाम, इस दुन्या में भी सामने आता है। मैं नहीं समझ पाता कि जो हिन्दू साँप जैसे विषयले जानवर को मारने पर हिचकिचाए वह पाप रहित जनों के प्राण कैसे ले सकता है अतः इस अहिन्सा के पाठ को आम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो मुसलमान "किसी प्राणी को अनायास मत मारो" कुर्आन में पढ़ेगा वह दहशत गर्द नहीं हो सकता पस इस्लाम में दिये गये इस प्रकार के आदेशों को फैलाने की आवश्यकता है।

यदि यह प्रयास जारी रहे तो हमारे देश से दहशत गर्दी जल्द समाप्त हो जाएगी।

❑❑

कुर्आन की शिक्षा

तर्जमाः (ऐ पैगम्बर! मुसलमानों से) कहिये कि अगर तुम्हारे माँ–बाप और तुम्हारी औलाद और तुम्हारे भाई–बहन और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारा कुंबा कबीला और तुम्हारी कमाई हुयी दौलत और तुम्हारी वह तिजारत जिस के ठप हो जाने का तुम्हें खतरा है और तुम्हारे रहने के मकानात जो तुम्हें अजीज (प्यारे) हैं, (तो अगर ये चीजें) जियादा प्यारी हैं तुम को अल्लाह से और उस के रसूल से और उस की राह में मेहनत व जाँबाजी से, तो इन्तेजार करो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला कर दे (और तुम को इस की सजा मिल जाये) और अल्लाह तआला का दस्तूर यह है कि वह नाफर्मानों को हिदायत की नेमत अता नहीं फर्माता। (9 : 24)

इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिन की अस्ली शान यह है कि राहे–खुदा में जाँबाजी और दीन के लिये जिद्दो–जहद उस को दुन्या की सारी चीजों से जियादा महबूब व मर्गूब (रूचिकर) हों।

गोया सिर्फ यह अमल ही नहीं, बल्कि इस अमल से इश्क़ (प्रेम) होना चाहिये। और बेशक इश्क ही की ताकत से इस रास्ते की मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है।

दर रहे लैला कि खतरहास्त बसे
शर्ते अव्वल कदम आनस्त के मजनूँ बाशी

(लैला की मंजिल के रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं। इस रासते के पहले कदम की पहली शर्त यह है कि मजनूँ (दीवाना) बन जा।

❑❑

कुरआन की शिक्षा

मौलाना मु0 मंजूर नोमानी

तर्जमाः ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कारोबार बता दूं जो दर्दनाक अजाब से तुम्हें नजात दिला दे? (सुनो वह, यह है) ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूल पर (और इस ईमान के तक़ाजों को पूरा कर के अपने हक़ीक़ी मोमिन होने का सुबूत दो) और अपने जान व माल से अल्लाह के रास्ते में और उस के दीन (धर्म) के लिये भरपूर कोशिश करो। इस में तुम्हारे लिये सरासर बेहतरी है, अगर तुम को हक़ीक़त का इल्म हो। (तुम ने अगर ऐसा किया) तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह (पाप) बख्श देगा, और तुम को बहिश्त के उन बागों में पहूँचा देगा जिन के नीचे नहरें जारी है और सदाबहार जन्नतों के निहायत ही नफ़ीस महलों में तुम्हें बसायेगा। यही अजीमुश्शान कामयाबी है। (और आख़िरत की इस जन्नत और कामयाबी के अलावा और उस से पहले) एक दूसरी नेमत भी तुम को अता करेगा जिस की तुम्हें चाहत है (और वह है दुशमनों के मुकाबले में अल्लाह की मदद और करीबी फतह) और ऐ पैगम्बर! आप ईमान वाले बन्दों को इस की खुश खबरी सुना दीजिये। ऐ ईमान वालो! हो जाओ अल्लाह के मददगार जैसा कि (हज़रत) ईसा अ0 बिन मर्यम ने हवारियों से कहा था कि कौन हैं मेरी मदद करने वाले अल्लाह के रासते में? तो हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के अन्सार और उस के रास्ते में आप के मददगार। (61 : 14)

और सूरए–माइदह् में फ़र्माया गया है :–

तर्जमाः ऐ ईमान वालो! खुदा से डरो और उसके (कुर्ब व रिज़ा) का रास्ता तलाश करो। (यानी ऐसे अमल करो जिन से उस की रिज़ा (प्रसन्नता) और कुर्ब (समीपता) हासिल हो। इस सिलसिले का विशेषतम अमल यह है कि) उस के दीन की राह में (यानी उस के बन्दों को उस की राह पर लगाने के लिये) भरपूर कोशिश करो, ताकि तुम फ़लाह पा सको। (5 : 35)

और सूरए–हज्ज के आख़िर में इर्शाद फ़र्माया गया है :–

तर्जमाः और जिद्दो–जहद करो अल्लाह की राह में (यानी उस के बन्दों को उस के रास्ते पर लगाने के लिये पूरी मेहनत और कोशिश करो।) जैसी मेहनत और कोशिश का इसका हक़ है। (ऐ उम्मते–मुहम्मद स0! अब) अल्लाह ने तुम को इस खिदमत के लिये चुना है। यह तरीका है तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्लाम का, उसने तुम्हारा (कैसा अच्छा) नाम मुस्लिम रखा है, इस (किताब कुर्आन–मजीद) में, और इस से पहले (वाली किताबों में) तो ऐसा हो कि रसूल तो तुम्हें बताने वाला हो, और तुम बाकी (शेष) दुन्या के बताने वाले बनो। (22 : 78)

और सूरए–हुजरात में इस जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी दीन के लिये मेहनत व कुरबानी को ईमान के लिये जरूरी बताया गया है और साफ फ़र्माया गया है कि सच्चे मोमिन बस वही है जिन को अल्लाह व रसूल पर और उन की बातों पर यकीन हो, दिल में किसी शक व शुबह का गुजर न हो, और वे अल्लाह की राह में जिद्दो–जहद और कुर्बानी भी करते हो। इर्शाद हुआ है :–

तर्जमाः अस्ली मोमिन तो बस वही बन्दे हैं जो यक़ीन लाये अल्लाह पर और उस के रसूल पर फिर वे किसी शक व शुबह में गिरफ्तार नहीं हुये, और उन्होंने खूब कोशिश की और कुर्बानी दी अपने जान व माल की अल्लाह के रास्ते, में बस वही बन्दे (ईमान के दावे में) सादिक और सच्चे हैं। (49 : 15)

आखिर में सूरए–तौबा की एक आयत और पढ़ ली जाये, जिस में बताया गया है कि ईमान वालों की शान यह होनी चाहिये कि उन्हें दुन्या की हर महबूब और पसंदीदा चीज़ यहाँ तक कि अपने माँ–बाप और बीवी–बच्चों से भी जियादा अल्लाह व रसूल की मूहब्बत और अल्लाह की राह में जिद्द–जहद और जाँबाजी महबूब हो, अगर किसी का यह हाल न हो तो वह खुदा की रहमत व इनायत का नहीं बल्कि सजा का मुस्तहक (पात्र) है।

अल् अयाज बिल्लाह (अल्लाह की पनाह) सूरए–तौबा में फर्माया गया :–

शेष पृष्ठ 4

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अमतुल्लाह तसनीम

छूरी को तेज कर लो ताकि जबीहः को तकलीफ न हो

हजरत शद्दाद बिन औस (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) ने फरमाया, अल्लाह तआला ने हर काम को अच्छे तरीक़े पर करना, जरूरी किया है। जब तुम क़त्ल करो तो भलाई से कत्ल करो और जब तुम जबह करो तो भलाई के साथ जबह करो। अपनी छुरी को तेज़ कर लो ताकि जबीहः को तकलीफ न हो। (मुस्लिम)

दो कामों में रसूलुल्लाह (स0) आसान बात इख्तियार फरमाते

हज़रत आयशः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) को जब दो कामों में इन्तिखाब का मौका होता जो गुनाह न हों तो आसान काम इख्तियार फरमाते। और अगर गुनाह होता तो सबसे जियादः आप उससे दूर रहते और अपने नफ्स के लिये कभी इन्तिकाम नहीं लिया। अगर अल्लाह की हुरमतों में कोई बात हुई तो अल्लाह के लिये इन्तिकाम लिया।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत इब्नि मसऊद (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) ने फरमाया, मैं तुमको खबर देता हुँ उसकी जो आग पर हराम होगा या जिसपर आग हराम होगी। हर गरीब बेआजार नर्म खू, नर्म रौ। (तिर्मिजी)

नबी (स0) का अफू (दरगुजर)

हज़रत आयशः (र0) ने नबी (स0) से दर्याफ्त फरमाया, क्या आप पर उहद के दिन से जियादः सख्त कोई दिन गुजरा है। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम से बहुत कुछ बरदाश्त करना पड़ा है। सबसे जियादः अकबः का दिन था। मैंने अब्द या लैल बिन अब्द कुलाल को इावते इस्लाम दी। उसने मेरी बात कुबूल नहीं की। मैं अपने हाल में इस फिक्र और रंज में चला जा रहा था कर्न सअलब में पहुँच कर मुझे इहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। सर उठाया तो एक बादल था जो मुझ पर साया किये हुए था। मैंने जो नजर डाली तो उसमें जिबरील नजर आये। मुझे पुकारा और कहा, अल्लाह तआला ने आपका फरमाना सुना और आपकी कौम का जवाब सुना तो आपकी तरफ पहाड़ों का फिरिश्ता भेजा है। अब आप जो चाहें इन्हें हुक्म दें। फिर पहाड़ों के फिरिश्ते ने मुझे पुकारा "ऐ मुहम्मद (स0) अल्लाह तआला ने आपका सवाल सुना और आपकी कौम का जवाब सुना। मैं पहाड़ों का फिरिश्ता हूँ मुझे मेरे परवरदिगार ने भेजा है। अब आप अपने मआमले में जो चाहें हुक्म दें। अगर आपका इरशाद हो तो मैं इन दो पहाड़ों के दर्मियान उनको पीस दूँ।" अपने फरमाया नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें अल्लाह तआला ऐसे लोग पैदा करेगा जो उसकी अिबादत करेंगे। और उसका शरीक न ठहरायेंगे।

(बुखारी–मुस्लिम)

हजरत आइशा (रजि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। न किसी औरत को और न गुलाम को सिवाये यह कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें और आपको कभी किसी से तकलीफ़ पहुँचती तो तकलीफ पहुँचाने वाले से बदला न लेते। मगर हाँ, जब अल्लाह की हुर्मतों में कोई बेहुर्मती करता तो आप अल्लाह के लिये बदला लेते।

(मुस्लिम)

हिल्म व आली जर्फी

हज़रत अनस (र0) से रिवायत है कि मैं नबी (स0) के साथ जा रहा था। आप मोटे किनारे की नजरानी चादर ओढ़े हुए थे। एक देहाती आपसे मिला और चादर पकड़कर आपको बड़े जोर से

खींचा। मैंने देखा कि आपके काँधे पर चादर के खींचने से निशान पड़ गये थे। बोला ऐ मुहम्मद (स0) मुझे उस माल से दीजिए जो आपको अल्लाह ने दिया है। आपने उसकी तरफ़ देखा और मुस्कराये, फिर उसको देने का हुक्म दिया।

(बुखारी–मुस्लिम)

पैगम्बरों का अमल

हज़रत इब्नि मस्ऊद (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) एक नबी की हिकायत बयान फरमा रहे थे। हुजूर (स0) के बयान करने का मन्जर इस वक्त भी मेरी आँखों के सामने है। उनपर अल्लाह का दुरूद और सलामती हो। फरमाया, उनकी कौम उनको इस कदर मारती थी कि खून आलूदः कर देती थी। और वह अपने चेहरे से खून पोछते जाते थे। और कहते जाते थे ऐ अल्लाह! इनको बख्श दे। यह जानते नहीं। (बुखारी–मुस्लिम)

पहलवान कौन है?

हज़रत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, पहलवान वह नहीं है जो किसी को पछाड़ दे। पहलवान वह है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। (बुखारी–मुस्लिम)

बुराई करने वालों के साथ भलाई करने की फजीलत

हज़रत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (स0) की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरे करबतदार हैं। मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ, वह काटते हैं। मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, वह मेरे साथ बुराई करते हैं। मैं बुर्दबारी करता हूँ वह मुझ पर सखती करते हैं। आपने फरमया, जो कुछ तुम कहते हो अगर यह सही है तो उनके मुँह में खाक डालते हो। जब तक तुम्हारा यह रवय्यः रहेगा अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी।

(मुस्लिम)

निहायत तवील इमामत पर हुजूर (स0) की नाराजगी

हज़रत अबू मस्ऊद (र0) बदरी से रिवायत है कि एक आदमी नबी (स0) की खिदमत बाबर्कत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं फलाँ आदमी की वजह से सुबह की नमाज़ में पिछड़ जाता हूँ, इसलिए कि वह नमाज़ को बहुत तूल देते हैं। मैंने उस दिन से जियादः आपको नसीहत में गुस्सा करते नहीं देखा। आपने फरमाया, ऐ लोगो! तुम वहशत पैदा करने वाले हो। खबरदार! जब तुममें से कोई लोगों की इमामत करे तो नमाज़ मुख्तसर कर दे। और अपने पीछे वालों को देखे कि उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और हाजतमन्द भी।

(बुखारी–मुस्लिम)

❑❑

कारवाने जिन्दगी

कि इसका अनुवाद कर के "जमींदार" में अबुल हसन अली पिसर मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हयी सांबिक नाजिम नदवातुल उल्मा के नाम से छपा। उसी जमाने में भाई मोल्वी अबू बक्र साहब के साथ पंजाब मेल से रायबरेली से लखनऊ जा रहा था। उम्र 13 साल की हो गयी होगी। रास्ते में एक टी टी आई ने हमारा टिकट चेक किया। टिकट आधे का था। टी टी आई साहब ने उम्र मालूम करने पर कहा कि आप को अब पूरा टिकट लेना चाहिये था, लाइये इतनी पेनाल्टी दीजिये। और इतना फर्क। मैं ने कहा, मै जरा सलाह कर लूं। इतने में मैं ने "जमींदार" का पर्चा निकाला। मुसाफिर बेकार बैठे होते हैं। पर्चा ने गश्त करना शुरू किया, यहाँ तक कि टी टी आई साहब की भी बारी आई। वह अखबार देख रहे थे कि मैं उन के पास गया। और मैं ने अपने लेख की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह लेख मेरा है। इत्तिफाक से वह मुसलमान थे। और वर्दी की वजह से अन्दाजा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि क्या तुम मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हयी साहब के बेटे हो? मैंने कहा 'हाँ' उन्हों ने कहा मैं नदवा का पुराना तालिब इल्म हूँ। वह मेरे जमाने में नदवा के नाजिम थे। जाओ, तुम से कुछ नहीं लूँगा। इस तरह हम दोनों जुर्माना से बच गये।

(जारी.....)

❑❑

किस्त : 18

कारवाने ज़िन्दगी

आत्म कथा

अध्याय चार

मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी

अल्लामा तक़ीउद्दीन हेलाली की आमद

इसी जमाने की एक महत्वपूर्ण बल्कि तारीखसाज घटना दारुलउलूम (नदवा) में अरबी भाषा व साहित्य के शोधकर्ता विद्वान, विद्वत्तापूर्ण और सुरूचिपूर्ण अध्यापक अल्लामा तक़ीउद्दीन हेलाली मराकशी की आमद है। अल्लामा मौसूफ अरबी भाषा के उन गिने चुने उस्तादों और विद्वानों में हैं जो सनद का दर्जा रखते हैं। उनकी इस विशिष्टता के लिये इतनी गवाही काफी है कि जब अल्लामा सय्यद रशीद रज़ा एडीटर अलमनार और अल्लामा अमीर शकेब अरसलान लेखक ''हाजिर अल आलमुल इस्लामी'' का ग्रामर व अरबियत के किसी मसअलः में मतभेद होता तो दोनों हेलाली साहब को हकम (सालिस) बनाते। हेलाली साहब उस जमाने में मलिक अब्दुल अजीज इब्न सऊद वाली–ए–हेजाज से किसी बात पर मतभेद हो जाने के कारण अपने दोस्त मौलाना अब्दुल मजीद हरेरी के पास मदन पुरा बनारस में ठहरे थे। शेख खलील अरब साहब उन के इल्म व फजल से वाकिफ थे। उन्हों ने भाई साहब और मौलाना सैयद सुलैमान नदवी से उनका परिचय कराया। और उन को नदवा बुलाने की सलाह दी। भाई साहब और सैयद साहब ने इस से पूरी सहमति व्यक्त की। दारुल उलूम में इस से पहले अनेक अरब विद्वानों ने शिक्षणा सेवा की है। मसलन अल्लामा मुहम्मद तैयब मक्की रामपुरी, शेख मुहम्मद इब्न हुसैन यमनी भोपाली। उन्हों ने शेख को लखनऊ आने की दावत दी। वह तशरीफ लाये। मैं जुमा के दिन अपनी मस्जिद नेवाजी में नमाज पढ़ने गया तो देखा कि वह बरजस्तः जुमा का खुत्बः दे रहे हैं। वह हमारे उस्ताद ही के यहाँ ठहरे थे। मैं मौलाना सैयद तल्हा साहब के साथ हाजिर हुआ वह अरबी क्या बोलते थे मुंह से फूल झड़ते थे अबुल फज्ल असफहानी इब्नि कुतैबा दीनौरी की जबान बोलते हुये उन्हीं को सुना, मौलाना सय्यद तलहा साहब और मौलाना अब्दुर्रहमान काशगरी (जो दारुल उलूम में अदब के आला उस्ताद थे) उन से लुगत (शब्द कोष) की तहकीक, ग्रामर के बाज मसायल और बाज अल्फाज के मअनी पूछते, और वह जिस चीज की उन को तहकीक न होती साफ कह देते कि मैं नहीं जानता। उन को दारुल उलूम में जाना, और रजिस्टर पर दस्तखत करना था। मुझे उन के साथ जाना पड़ा और उन्हों ने बाकायदा पढ़ाने का चार्ज ले लिया। यह 14 सितम्बर 1930 की बात है। उन की आमद से गोया दारुल उलूम और स्टाफ में अरबी की बहार आ गाई। वास्तव में शेख खलील अरब साहब ने जो काम शुरू कराया था, और हिन्दुस्तान में अरबी भाषा और साहित्य की तालीम के सही तरीके और उस की सही अभिरूचि (जौक) पैदा करने का जो दौर शुरू किया था, हेलाली साहब के हाथों वह परिपूर्ण हुआ उसकी तकमील हुई। मैं ने बेजाब्तः तरीके पर तो उन से बहुत फायदा उठाया। रोजाना उन की खिदमत में हाजिरी देता और उनकी सुहबतों और मजलिसों से फायदा उठाता, लेकिन बाकायदा तरीके पर दीवाने नाबेगः उन से पढ़ा। और उनकी बहुमूल्य बातें नोट कीं। 'शरह शुजूर अलजहब' की एक कलास में भी, जिस को वह अपने घर में पढ़ाते थे, शरीक हुआ। उनकी लिखी अपूर्ण तफसीर भी उन से पढ़ी। भाई साहब और अरब साहब के तअल्लुक की वजह से वह मुझ पर खास शफकत फरमाते थे और सीखने का मौका देते थे। मौलाना मसऊद आलम नदवी, मौलाना मुहम्मद नाजिम साहब नदवी ने उन से खास तौर पर फायदा उठाया और उनके मुमताज शगिर्दों में हुए।

1931 में उन्हों ने बनारस, आजमगढ़ और मऊ व मुबारकपुर का एक सफर किया जिसका मकसद इन स्थानों के विद्वानों और दोस्तों से मिलना था। साथ चलने के लिये मुझे चुना गया, और मैंने इस सफर से बहुत फायदा उठाया। इसी सफर में दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में सैयद साहब की एक

मजलिस में नदवा से एक अरबी रिसालः "अलजिया" निकालने की सलाह हुई जिस के संरक्षक सैयद साहब और निगराँ हेलाली साहब नियुक्त हुए। और एडीटर हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना मसऊद आलम नदवी साहब।

मई 1932 (मुहर्रम 1351 हि0) से यह पत्रिका जारी हुई जिस से नदवा के परिचय और ख्याति के अलावा अरबी के अच्छे निबन्ध कारों की एक टीम तैयार हो गयी। और हिन्दुस्तान में अरबी पत्रकारिता का असली दौर शुरू हुआ। "अल जिया" तो तीन साल जारी रहकर बन्द हो गया लेकिन इसके बीज थे कि बाद में "अल बास अल इस्लामी", "अल रायद" रिसाले दारुल उलूम से अपने अपने समय में निकले और कामयाब व लोकप्रिय हुए।

भाई साहब की शिक्षा–दीक्षा के खास अन्दाज और मेरा अरबी निबन्ध लेखन

अल्लाह तआला ने भाई साहब को तालीम व तरबियत का फितरी और खुदादाद मल्कः अता फरमाया था और इस में वह नये नये तरीके इख्तियार करते थे। वह चाहते थे कि मेरा हजरत सैयद अहमद शहीद की जात और उनकी सीरत व दावत से गहरा तअल्लुक पैदा हो कि हमारे पूर्वज उन्हीं के सिलसिले के हल्कः बगोश (मुरीद) और इस में उन्हें इजाजत थी। और हमारी जद्दी शाख का उन से बहुत गहरा लगाव था। इसी जमाने में रिसालः "तोहीद" में जो मौलाना सैयद मुहम्मद दाऊद साहब गजनवी के सम्पादन में अमृतसर से निकलता था, मोल्वी मुहीउद्दीन साहब कसूरी का एक निबन्ध माला 'हिन्दुस्तान का मुजाहिदे आजम' या 'मुजद्दिदे आजम' के नाम से निकला था, जिस में पहली मर्तबा हजरत सैयद साहब के जीवन और दावत (आह्वान) को बड़े अच्छे ढँग से पेश किया गया था। यह पर्चा चचा मोल्वी सैयद खलीलुद्दीन के यहाँ आता था। भाई साहब ने मुझे इसके अरबी तर्जमः की हिदायत की और सलाह दी कि पहले मैं इतिहास और जीवनी की उच्च स्तरीय किताबें देख लूँ। और उन की खास खास शब्दावली और वाक्यों को नोट कर लूँ जिन की इतिहास और जीवनी लिखने में जरूरत पड़ती है। मैंने इसके लिये इब्नुल असीर की "अलकामिल" देखी और खास खास अल्फाज और मुहाविरे नोट करता गया। इस के बाद तर्जमः में मुझे बड़ी आसानी हुई।

मैंने इसका तर्जमः तैयार कर लिया था कि इसी जमाने में शेख तकीउद्दीन हेलाली तशरीफ ले आये। मैंने उन को दिखाया उन्हों ने बहुत थोड़ा करेकशन किया और मुझ से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा या लेख अल्लामा सैयद रशीद रजा को 'अल मनार' में प्रकाशन के लिये भेज दूँ। लेकिन याद रखना कि उन की नजर बड़ी बारीक पकड़ की है और उन के यहाँ शुद्धता का स्तर बहुत ऊँचा है। अच्छे अच्छे लिखने वालों के लेखन में वह बुराई निकालते हैं। मैंने सहर्ष इसे स्वीकार किया। और उन्होंने अपने एक परिचयात्मक पत्र के साथ अल्लामा को मेरा लेख भेज दिया। उन्होंने न केवल इसे प्रकाशित किया बल्कि लिखा कि अगर लेखक चाहे तो मैं इस को अलग रिसालः की शक्ल में भी प्राकशित कर सकता हूँ।

इस से बढ़कर एक हिन्दी विद्यार्थी की क्या प्रतिष्ठा हो सकती थी कि उसका रिसालः अल्लामा रशीद रजा मिस्र से प्रकाशित करें। थोड़े समय के बाद वह रिसालः छप कर आ गया नाम था 'तर्जमः अल इमाम अल सैयद अहमद बिन इरफान अल शहीद' और मेरी खुशी की कोई हद न रही मेरी उम्र उस समय 16 साल की रही होगी। यह मेरी पहली तसनीफ है (रचना है) जो न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि मिस्र से प्रकाशित हुई।

जब भाई साहब की ज्ञानमय दीक्षा का जिक्र आ गया है तो यह लतीफः भी सुनते चलिये कि कदाचित सन् 1927 या 1928 में उन्होंने मुझे मक्का से निकलने वाले अरबी अखबार 'उम्मुल कुरअ' का एक अंक दिया। मलिक अब्दुल अजीज की नई नई हुकूमत हेजाह में कायम हुई थी। इस अंक में बाहर से आने वाले हाजियों के लिये निर्देश थे कि वह इस तरह के इंजेकशन और टीके लेकर आयें और इन बातों का ध्यान रखें। भाई साहब ने यह लेख दिया

शेष पृष्ठ 7

किस्त : 9

जगनायक

मौलाना मुहम्मद राबे हसनी

अनुवाद मु0 गुफरान नदवी

शहर में पानी का एक ही चश्मा (सोता) है जिसको "ज़मज़म" कहते है, इसके अलावा यहाँ पानी का कोई खास कुवाँ नहीं है, पानी की कमी की वजह से यहाँ की जमीन में कुछ खेती नहीं हो सकती थी अब दो एक नहरें शहर में दूसरी जगह से ले आई गई हैं, उनकी वजह से पानी की सुहूलत हो गई है, उसकी मदद से कुछ घास और पौदे लगा दिये गये हैं, अब्बासी ही काल में "ताएफ" के करीब से यहाँ एक नहर ले आई गई है, यह नहर, नहर जुबैदह कहलाती है, यह अब्बासी खलीफा अमीन की माँ जुबैदह ने बनावाई थी और बअद में उसको तरक्की दी जाती रही, अब पानी पहुंचाने के दूसरे साधन भी प्रयोग किये गये हैं, जिनकी वजह से अब पानी की किल्लत नहीं रही, मक्का चुंकि एक घाटी में है इस लिये बीते दिनों में बड़े सैलाबो से उसमें पानी भर जाया करता था और "हरम शरीफ" में बहुत पानी जमा हो जाता था, अब हुकूमत (शासन) ने "मुअल्लात" से पहले एक बन्ध बना दिया है, और उसके अलावा एक अन्डर ग्राउन्ड नाला भी बना दिया है जिसमें शहर का गन्दा पानी और सैलाब का पानी बहकर मक्का के ढलान "मिसफलह" की ओर से निकल जाता है।

पहाड़ों के बीच विशेष रुप से घिरे होने की वजह से मक्का मुकर्रमा में गर्मी ज्यादा और सर्दी कम होती है, शहर का मौसम गर्मियों में सख्त होता है और बारिश केवल जाड़ों में होती है, उसकी वार्षिक मात्र चार पाँच इंच से ज्यादा नहीं, इसलिये गर्मी का मौसम मार्च से शुरू होकर आखिर अक्टूबर तक रहता है, पहाड़ों से घिरे होने की वजह से जाड़ों में सर्दी कम होती है, हवाओं में सबसे अच्छी हवा पछवा हवा होती है यह समुद्र की ओर से आती है, उसके बअद उत्तरी हवा, यह भी समुद्र की ओर से आती है और सबसे गर्म पुरवा हवा होती है।

इसके पहाड़ों को "तौरैत" में "जिबाले फारान" बताया गया है, यह नाम संभवतः फारान बिन अमर बिन अमलीक सम्राट के सम्बन्ध से हुआ।

प्रारंभिक काल में मक्का की आबादी केवल खीमों में रहती थी, हिजरत से केवल दो शताब्दी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक दादा कुसई बिन क्लाब जब शाम (सीरिया) से आए तो उनके मशवरे से मकानात बनना आरंभ हुवे और मक्का के समाज को और उसकी सामाजिक और धारमिक जिम्मेदारियों को संगठित किया गया और उनको वास्तव में कुसई बिन कलाब ही ने संभाला, इस से कुरैश की अहमियत (महत्त्व) बढ़ी और यह जिम्मेदारियाँ उनमें मखसूस (मुख्य) हो गईं, इस्लाम के आने के पश्चात शहर को बराबर उन्नति हुई, अब यह अपने आसपास में दूर दूर तक सबसे बड़ा और पूरे इस्लाम जगत का सबसे महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय नगर हो चुका है।[1]

अरबों की बुत परस्ती

मक्का के लोग जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ शुरू में बुत परस्त न थे, उनके असली लोग हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और अपने को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले समझते थे, और उनके दीन को अपना दीन समझते थे, उनके साथ यमनी कबीला "जरहम" फिर "खुजाअः" के लोग आकर बस गए थे, वह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से अलग दीन रखते थे, इस्माईली लोगों में बुत परस्ती बअद में आई इस तरह कि मक्का के एक शख्स "अमर बिन लुहूय जो जरहम कबीले से संबंधित था उसके जरये आई थी, जिसने अपने सीरिया और इराक की यात्रा के अवसर पर वहाँ बुत परसती देखी और वह उसको अच्छी लगी और वहाँ से बुत लाकर मक्का मुकर्रमा में उसका परिचय कराया और

(1) लेखक की पुस्तक जजीरतुल अरब – पृष्ठ 222–225।

"कअबः" के दरवाजे पर उसकी स्थापना की, उसका "हुबल" नाम था और वह इन्सान की सूरत (रूप) में था, कुछ समय बअद मक्का वाले उसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे, और उसके साथ विभिन्न जगहों पर दूसरे बुत स्थापित होते चले गये, अन्ततः इस प्रकार बुतों की संख्या बढ़ गई, अरब उन बुतों को खुदा के सर्वश्रेष्ठ बन्दे और उसके अधीन काम करने वाले नियुक्त कर के उनका सम्मान इबादत के रूप में करने लगे, वह उनसे मुरादें माँगते और समझते कि वह उनकी सहायता खुदा के समान कर सकते हैं, फिर बुत परस्ती ऐसी फैली कि घर घर बुत, यहाँ तक कि कअबे के अन्दर बुत रख लिये गए, वह यह कहते कि उनको हम असली खुदा नहीं मानते, उनको हम छोटे छोटे खुदा मानते हैं, जैसा कि सम्राट के अधीन विभिन्न विभागों और कामों के लिये हाकिम होते हैं। इसी प्रकार यह हमारी जिन्दगी के विभिन्न कामों के लिये छोटे पैमाने के खुदा हैं, उनको खुश करके हम बड़े खुदा को खुश कर सकते हैं, यह खुदा के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, और हमारा काम इस तरह आसानी से हो जाएगा और हमको बड़े खुदा से कहने की जरूरत नहीं पडेगी, वह बुत (मुर्ति) को प्राचीन काल के किसी महान व्यक्ति की स्मृति करार देते थे और उनकी इबादत को काफी समझते थे, हालाँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन (संसार के पालनहार) को छोड़कर या उसकी जात पाक (पवित्र व्यक्तित्व) के साथ किसी दूसरे को उसके किसी काम में किसी तरह से भी खुदाई काम में शरीक (साझेदार) समझना यही शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है, क्योंकि उसने सबको पैदा करके बाकी काम किसी दूसरे को सुपुद्र नहीं कर दिया है, वह संसार और उसमें रहने वाले समस्त प्राणियों का प्रबंध स्वंय करता है, किसी का उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, वह जो चाहता है करता है और अपने बन्दों की दुआ को सुनता है, उसके साथ किसी को शरीक करना उसको बहुत ही ज्यादा नापसन्द है और उससे सख्ती के साथ रोका गया है, और उसके खिलाफ (विरूद्ध) हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक हर नबी ने आवाज बलन्द की और अपनी अपनी कौम से झगड़ा मोल लिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इसी शिर्क के विरोध में अपने आप को अपने घरबार को और अपनी इज्जत व राहत को खैरबाद कहा (छोड़ दिया) अब यह दअवत (सत्य सन्देश) अरबों में मबऊस होने वाले प्रेषित नए नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहले अपनी कौम को फिर दूसरी कौमों को देना थी।

कुरैश यूं तो कई बुतों (मूर्तियों) की इबादत (पूजा) करते थे, लेकिन "हुबल" को खुदा को प्रतिनिधि और प्रभावशाली समझकर अपनी बड़ी जरूरतों के लिये उसी से कहते थे और उसको अपना खास (विशेष) और अहम मअबूद (महत्त्वपूर्ण पूजनीय) मानते थे, इसके अलावा "असाफ" और "नाएला" नाम के बुत बनाए थे, जो करीब ही थे, मक्का के बाहर भी कई अहम बुत रख लिये गये थे, जिनको कुरैश भी मानते थे, उनमें एक "उज्जा" था जो मक्का से कुछ दूर "नखला" के स्थान पर मकामे "कुदैद" में रखा गया था। यह बुत खास तौर पर मदीने वालो का बुत समझा जाता था, तीसरा बुत "लात" था जो "ताएफ" में था और "ताएफ" वालों का खास बुत समझा जाता था, इनके अलावा हर हर कबीले ने अपने अपने अलग बुत भी रख लिये थे, "कअबा" के अन्दर हर कबीले ने अपनी पसन्द के बुत अपनी प्रतिनिधित्वता के रूप में रख दिये थे, इस तरह "कअबा" में बहुत ज्यादा बुत इकट्ठा हो गए थे जिसकी संख्या आहिस्ता आहिस्ता तीन सौ साठ तक पहुंच गई थी, हर कबीला और हर खानदान ने अपने बुत के नुमाइन्दे के तौर पर "कअबा" में बुत रखवा दिया था, इसी के साथ सब अरब खान–ए–कअबा को अपना धार्मिक केन्द्र और इबादत घर जानते थे और "हज" करते और उसका तवाफ करते थे और बुतों से भी मन्नतें माँते थे।

इस तरह अरबों की इबादत का मिजाज (स्वभाव) तौहीद (एकेश्वरवाद) से हटकर बुत परस्ती हो गया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से दूर हो गए फिर

शेष पृष्ठ 17

सुन्नत हदीस और बिदअत

मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी

इस्लामी शरीअत का पूरा इल्म हम को दो जरीओं से मिला है, कुर्आन पाक और नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस व सुन्नत। सुन्नत के लफजी मअना (शाब्दिक अर्थ) हैं रास्ता और तरीका और हदीस के मअना है बात चीत, लेकिन इस्लाम में जब सुन्नत का लफ्ज बोला जाता है तो उससे मुराद वह रासता और तरीका होता है। जिस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और खुलफाए राशिदीन चले हैं या उस पर चलने का हुक्म दिया है, और हदीस से मुराद वह बातें हैं जिन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुर्आन को समझाने के लिये हम को बताई हैं। जैसे कुर्आने पाक में है कि नमाज पढ़ो, मगर कुर्आन से हम को यह नहीं मालूम होता कि किन किन औकात में पढ़ें, कौन वक्त, किस वक्त से किस वक्त तक रहता है, किस वक्त कितनी रकअतें पढ़ी जाएं? रुकूअ कैसे करें? सजदा कैसे करें? रुकूअ और सजदों में क्या पढ़े? यह सब कुर्आन में नहीं बयान हुआ है, यह सब बातें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताई हैं। इसी तरह कुर्आने मजीद के बहुत से अहकाम की तफ्सील आप ने बयान फरमाई हैं और यह मरतबा (पद) अल्लाह तआला ही ने आप को अता किया है कुर्आन पाक में है :–

अनुवाद : और हम ने आप पर जिक्र (कुर्आन) उतारा कि आप लोगों के लिये बयान कर दें।

अब अगर कोई कुर्आने पाक को तो मानता है मगर आप की सुन्नत और हदीसों को नहीं मानता तो वह मुसलमान नहीं है, इस लिये कि हदीसे तो कुर्आने पाक ही का बयान हैं, तो हदीसों को न मानना गोया कि कुर्आन की इस हिदायत का इन्कार है। फिर यह भी सोचने की बात है कि कुर्आने पाक तो हम को आप ही के जरीअे मिला है और आप के बताने से सहाबा ने इसे अल्लाह का कलाम तस्लमी किया है, अब अगर कोई सुन्नत और हदीस को नहीं मानता तो हकीकत में वह कुर्आन के कलामे इलाही होने का इन्कार करता है। कुछ लोग अपने को अहले कुर्आन कहते हैं, वह हदीस का इन्कार करते है और हदीस का इन्कार करने के मअने यह हुए कि वह नुबुव्वत का और वह्य का भी इन्कार करते हैं। वह कहते हैं कि सिर्फ कुर्आन का मानना जरूरी है, हदीस को मानने की कोई जरूरत नहीं है तो अगर ऐसे लोगों से कोई पूछे कि यह कुर्आन का कलामे इलाही होना तुम को कैसे मालूम हुआ? और कुर्आन किस पर नाजिल हुआ? तो उन को जवाब में कहना पड़ेगा कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरीअे ही इस का कलामे इल्लाही होना हम को मालूम हुआ और उन्हीं के जरीअे हम को मिला। तो कितनी बे अक्ली की बात होगी कि जिस के जरीअे हम को कुर्आन मिला उस को तो हम मान लें और जब वह कुर्आन के हुक्मों की तफ्सील बयान करें तो हम उस का इन्कार कर दें। एक हदीस में है कि ऐसे आदमी को अपनी उम्मत में नहीं पाना चाहता कि ज़ब मैं कोई हुक्म दूं तो वह कहे कि मुझे कुर्आन में यह हुक्म नहीं मिलता।

(अबू दाऊद)

उलमा ने आप की सुन्नतों और हदीसों को बहुत सी किताबों में इकट्ठा कर दिया है, उन में आठ किताबें मशहूर हैं। (1) बुखरी शरीफ (2) मुस्लिम शरीफ (3) अबुदाऊ शरीफ (4) तिर्मिजी शरीफ (5) नसई शरीफ (6) मुवत्ता इमाम मालिक (7) मुसन्द इमाम अहमद बिन हंबल (8) इब्नि मजा। शर्ह मआनी अल आसार, तहावी, सुनने बेहकी वगैरह और भी बहुत सी हदीस की किताबें हैं।

शेष पृष्ठ 14

किस्त–3

पति पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य

अल्लामा सय्यिद सुलैमान नदवी

अनुवाद- मु0 नसीर खाँ

इन्सान के बेहतर और खूब होने की यह एक ऐसी पहचान बता दी गई है कि इस आईने में हर व्यक्त अपना चेहरा देख सकता है जो अपनों के साथ इन्साफ और एहसान नहीं कर सकता वह दूसरों के साथ क्या कर सकता है क्यों कि नेकी घर से शुरु होनी चाहिये।

एक सहाबी बड़े आबिद व जाहिद थे लेकिन वह अपनी बीवी की तरफ ध्यान नहीं करते थे। आँहजरत स0 ने उनका यह हाल सुना तो उनको बुलाकर फरमाया... तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है।

इस्लाम से पहले जाहिलियत के जमानें में बीवियों की कोई कद्र व मंजिलत न थी। वह हर समय मामूली कुसूरों पर मारी पीटी जा सकती थी।

हजरत उमर रज़ीअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैंने अपनी बीवी को डाँटा तो उसने भी बराबर का जवाब दिया फिर वह कहते हैं कि हम लोग इस्लाम से पहले औरतों को किसी गिन्ती में नहीं समझते थे। इस्लाम आया तो उसने इनके बारे में अहकाम उतारे और उनके अधिकार नियुक्त किये।

इस्लाम ने उनकी इज्जत को यहाँ तक बढ़ा दिया कि उनको कानूनन मर्दों के बराबर खड़ा कर दिया। और आपस के कानूनी अधिकारों में उनको बराबर का स्थान प्रदान किया। अलबत्ता अखलाकन रुतबा में मर्दों को थोड़ी सी बढ़ोती दी गई।

(सही बुखारी–किताबु न्निकाह)

और औरतों का अधिकार कानून के अनुसार मर्दों पर वैसा ही है जैसा मर्दों का औरतों पर और मर्दों को उनपर एक मनजिलत हासिल है।

लेकिन यह मनजिलत (स्थान) उनको बेवजह नही दी गई है। यह इस लिये है ताकी वह औरतों की निगरानी और निगहबानी का फर्ज अनजाम दे सकें।

यानी वह गोया अपनी घरेलू अदालत के एजाजी सदर बनाये गये हैं। यह नुकता इससे समझ में आता है कि यह ऊपर की आयत मियाँ बीवी के घरेलू झगड़े को दूर करने के संबन्ध में है। घर के दिन प्रतिदिन के मामलात का निर्णय इसी प्रकार हो सकता है कि दोनों के कानूनी अधिकार बराबर मानने के साथ शौहर को ऐसी फौकियत (उंच कोटि का दरजा) दिया जाये ताकी वह अपने घर के निजाम को अच्छी तरह चला सके।

इस एजाजी मनसब के लिये शौहर का इन्तिखाब भी बेवजह नहीं कुर्आने पाक ने इसकी वजह भी बतादी है फरमाया–

मर्द औरतों के निगराँ हैं इस वजह से कि अल्लाह ने एक को एक पर बड़ाई दी और इसलिये कि उन्होंने अपना माल खर्च किया।

(सूर–ए–निसा : 34)

यानी मर्दों की इस उच्च कोटि का सबब तो यह है कि अल्लाह तआला ने फितरी तौर से मर्दों को औरतों पर जिस्म व ताकत व अकल समझ बूझ में शारीरिक व मानसिक बड़ाई दी है। तिब्बी तहकीकात, इन्सानियत की पूरी तारीख और रोजाना के मुशाहदें दम बदम इसकी ताईद में है। इसी लिये उसको अध्यक्षता का अधिकार मिलना चाहिये।

दूसरा सबब यह है कि इस्लाम ने महर नान नफका और पालन पोषण औलाद वगैरा घरेलू मामिलात की हर किस्म की माली जिम्मेदारी मर्द पर रखी है और वही इस बोझ को अपनी गरदन पर उठाये हुये है। इसलिये इन्साफ का तकाजा भी यही है कि उसको अपने घर का हाकिम और अध्यक्ष बनाया जाये। जिससे घर का निजाम सही आपस में संबं पूर्ण रुप से अच्छा बना रहे।

अधिकतर औरतों में अकड़

होती है यह उनकी पैदाइशी कमजोरी या सही प्रशिक्षण न होने के कारण है।

कुछ मर्द यह चाहते है कि उनकी अकड़ को ठीक करने के लिये सख्ती और गुस्सा से काम लेकर उनका यह टेढ़ापन निकाल दें। आप स0 ने उनको एक अच्छी मिसाल देकर नसीहत फरमाई कि–

औरतों के साथ भलाई का व्योहार करो कि उनकी पैदाइश पसली से हुई है जिससे उसके टेढ़ापन के साथ तुम काम ले सको तो ले सकते हो। अगर उसको सीधा करने की चेष्ठा करोगे तो तुम उसको तोड़ डालोगे।

आप स0 ने मर्दों को बीवियों के बारे में खुश अति खुश रखने का एक बहुत अच्छा नुसखा बताया। फरमाया–

अपनी बीवी में कोई खराबी देख कर उससे नफरत न करो कि बिचार करोगे और ढूंढ़ोगे तो उसमें कोई दूसरी अच्छी बात भी निकल आयेगी।

यह नसहीत असल में कुर्आने पाक की इस आयत की तामील है (और बीवियों के साथ अच्छे ढंग से गुजर बसर करो। अगर तुमको वह ना पंसन्द आयें, हो सकता है एक चीज तुमको पसन्द न आये और खुदा ने उसमें बहुत अच्छाई रखी हो।)

(सही बुखारी व मुस्लिम किताबु न्निकाह)

इस्लाम ने इन्सानी जिन्दगी के कामों के करने को दो भागों में बाँट दिया है घरेलू और बाहरी–घरेलू कामों की जिम्मेदारी औरत पर बाहरी जिम्मेदारी जो कठिन कार्य है मर्दों के कन्धों पर रखी है। और इस तरह इन्सानी जिन्दगी के भीतरी और बाहरी कामों के विशाल भवन को एक दूसरे के सहयोग के पिलर पर खड़ा किया है अपने लिये खुद रोजी कमाना और इकट्ठा करना औरत का नहीं मर्द का फर्ज करार दिया है। और मर्द पर यह अनिवार्य किया है कि वह औरत के खाना कपड़ा और दूसरी जरुरियात का जिम्मेदार हो अगर वह अदा न करे तो हुकूमते वक्त के जरीये औरत को इसकी वसूली का अधिकार है और मर्द इसपर भी न दे तो बीवी को उससे अलग होने के दावे का अधिकार है। हद यह है विशेष परिस्थिति में औरत अगर चाहे तो मर्द से उसके बच्चा को दूध पिलाने का मूल्य भी वसूल कर सकती है जिसकी तफसील कुर्आन में लिखी है।

अगर कोई मर्द कन्जूसी की वजह से अपनी बीवी और बच्चों को जायज जरुरतों के लिये अपनी हैसियत (ताकत) से कम दे तो औरत को अधिकार है कि वह शौहर की नाजानकारी में उसकी दौलत से उसकी हैसियत के मुताबिक आवश्यकता अनुसार ले लिया करे।

फत्हे मक्का के दिन अबू सुफयान की बीवी हिन्द ने आँ हजरत स0 की खिदमते अकदस में आकर कहा या रसूलुल्लाह अबू सुफयान कनजूस आदमी है वह मुझे मेरी और मेरे बच्चों की जरुरत से कम दिया करते हैं। क्या उनके माल में से बिना बताये कुछ ले लूं। आप स0 ने फरमाया दस्तूर के मुताबिक उतना ले सकती हो जो तुमको और तुम्हारे बच्चों को काफी हो।

एक मशहूर हदीस है जिसमें मर्द और औरत के आपसी हुकूक की जिम्मेदारी चन्द ऐसे मुखतसर लफ्जों में जाहिर की गई है जिनकी तफसील एक दफ्तर में समा सकती है–

फरामया तुम में से हर एक अपनी रिआया का निगरां है और तुम में से हर एक से उस के बारे में पूछा जायेगा। मर्द अपनी बीवी बच्चों का रखवाला है और बीवी उसके घर की निगराँ है उससे उसकी पूछ होगी।

❑❑

सुन्नत हदीस और बिदअत

बिदअत : जिन दीनी कामों का जिक्र कुर्आन व हदीस में नहीं है और न वह सहाबा व ताबिईन के जमाने में पाये जाते थे बअ्द के लोगों ने उनको दीन में दाखिल कर के उनपर अमल करना शुरुअ कर दिया उनको बिदअत कहते हैं। मुसलमानों में बहुत सी बिदअतें राइज हो गई हैं मसलन तअ़ज़िया बनाना और तअ़ज़िया दारी करना मातम करना, कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाना, कब्रों पर मेला करना, मीलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ने को जरूरी समझना, मुर्दा दफ्न के बअ़द कब्र पर अजान कहना। निकाह, रुखसती, वलीमें के साथ बहुत सी रस्मों का अदा करना वगैरह।

❑❑

दम्पति (मियाँ बीवी)

- इदारा

अल्लाह तआला ने फरमायाः "मर्द औरतों के हाकिम हैं कारण यह कि उनके कुछ को कुछ (मर्द को औरत) पर बड़ाई दी है, और इस कारण कि वह (मर्द) अपना माल खर्च करते हैं। अतः नेक बीवियाँ इताअत गुजार (आज्ञाकारिणी) होती हैं, शौहर के न होने पर अल्लाह की निगरानी में देख रेख रखती हैं (ऐ मर्दों!) जिन बीवियों के बारे में किसी तरह तुम को उन के बे राह होने का खतरा हो तो उन को समझाओ न माने तो उन के बिस्तरों पर उन को अकेला छोड़ दो फिर भी न मानें तो उन को मारो। अगर व तुम्हारी ताबिअदार हो जाएं तो उन पर इलजाम लगाने का बहाना मत ढूंढो बेशक अल्लाह ही बुजुर्ग और सब से बड़ा है।"

(अन्निसा : 34)

अल्लाह तआला ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में बहुत सी खुसूसी सिफात (विशेषताएं) दी हैं। उस को औरतों के मुकाबले में कवी (बलवान) बनाया है, जरी (साहसी) बनाया है, वह हर जगह जा सकता है, हर एक से बात कर सकता है, हर किस्म का काम कर सकता है, औरत अपनी बनावट के लिहाज से और कुछ मजबूरियों से न हर जगह जा सकती है न हर काम कर सकती है न हर एक से बे रोक मिल सकती है न हर तरह की बात कर सकती है, कोई औरत अगर अपने शौहर (पति) से जियादा अक्ल वाली और ताकत वाली है तब भी वह बहुत सी बातों में शौहर की मुहताज रहती है लिहाजा ऐसी अक्लमन्द औरत को चाहिये कि वह अपने शौहर की मुशीर (परामर्शदाता) बने लेकिन उस की हाकिमीयत (सत्ता) बाकी रखे, और उस की हाकिमीयत में अपना निजाम (प्रबन्ध) चलाए।

शौहर के हाकिम (मुख्या) होने का एक सबब यह भी है कि वह औरत के रोटी कपड़े और जरूरियात (आवश्यकताओं) का जिम्मेदार होता है। कभी अपनी गरीबी के सबब औरत के रोटी कपड़ा मुहय्या (उपलब्ध) कराने में कमी हो जाती है, इस हाल में भी अगर शौहर किसी बुराई की आदत नहीं रखता, फुजूल खर्ची (अपव्यय) नहीं करता, नेक (सदाचारी) खुश अख्लाक (आचार वान) नमाज़, रोजे का पाबन्द है तो औरत को उस की गरीबी को सहन करना है और उसकी सत्ता को कबूल (स्वीकार) करना है।

यहाँ यह सुवाल जरूर उठता है कि मर्द की हाकिमीयत से क्या मुराद (तातपर्य) है? क्या उस को यह हक हासिल है कि जब चाहे उसे मारे, जिस काम का चाहे हुक्म दे, औरत को गुलाम व बान्दी (दासी) की तरह रखे? नहीं ऐसा हरगिज नहीं है। औरत आजाद रफीक–ए–हयात (जीवन साथी) है। बेशक मर्द की हुकूमत औरत पर रहेगी मगर बाइज्जत (सम्मान पूर्वक) मर्द की हुकूमत बीवी ही पर नहीं पूरे अहल व अयाल पर इस हैसीयत से रहेगी कि वह उनको शरीअत पर चलाए गा। कुर्आन में हुक्म है कि "अपने को और अपने घर वालों को आग से बचाओ।"(66:6) मर्द की यह हुकूमत औरत पर और बाल बच्चों पर फर्ज है। हदीस में है कि "तुम में से हर एक जिम्मेदार है और जो जिस का जिम्मेदार है उस के बारे में उससे पूछा जाए गा" इस में भी मर्द की हाकिमीयत का इशारा है इस लिये कि मर्द अपनी बीवी और औलाद का जिम्मेदार है उससे उन के बारे में पूछा जाए गा कि उन से गलत काम कैसे हुए, लिहाजा मर्द अपनी औरत और अपने बच्चों को अपने हुक्म से शरीअत पर चलाए। जाहिर है जब मर्द अपनी बीवी को शरीअत पर चलाए गा तो खुद उस पर जियादती नहीं करेगा।

घर चलाने में मर्द ही का हुक्म चलेगा, जरूरियात की खरीदारी में मर्द ही का हुक्म चलेगा, घर के अन्दर के काम तो औरत संभाले गी मगर हुक्म मर्द ही का रहेगा, अज़ीज़ व अकारिब से तअल्लुकात मर्द की मर्जी के मुताबिक होंगे, हाँ मर्द को माँ–बाप छुड़ाने का हक न होगा। औरत मर्द से गुस्ताखी (घृष्टता) न करे, उस की इहानत (अपमान) न करे, जैसा कि हदीस में आया है इस शरीअत में तअ़ज़ीम का सजदा (सम्मान में नतमस्तक होना) हराम न होता तो औरत अपने शैहर को सजदा करती लिहाजा औरत अपने शौहर की खूब इज्जत करे लेकिन उस के हुक्म से अल्लाह की ना फरमानी न करे।

हाँ मर्द औरत पर हाकिम है लेकिन हाकिम होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि वह औरत को ऐसे काम का हुक्म दे जो उस की ताकत से बाहर हो वह ऐसे कामों का हुक्म भी न दे जिस में उस की तौहीन हो। सोचने की बात है क्या कोई तहसीलदार अपने पेशकार को खेत में हल चलाने का आर्डर दे सकता है? और क्या इस हुक्म की तअमील जरूरी होगी? हरगिज नहीं। बेशक जरूरत पड़ी तो हजरत अय्यूब (अ0) की बीवी ने मजदूरी कर के हजरत अय्यूब की खिदमत की लेकिन अगर कोई मर्द औरत से मुतालबा करे कि मजदूरी कर के मेरा खर्च चलाओ तो औरत को इन्कार का हक हासिल है, साथ ही औरत ऐसी मजदूरी या नौकरी करती है ज़िस से मर्द की इहानत होती है या उस की हकतल्फी होती है तो वह अपनी बीवी को नौकरी मजदूरी से रोक सकता है।

गरज कि ऐसा मर्द जो नेक है, औरत के हुकूक की अदाएगी करता है, नेक औरतें जो अपने रब की इताअत गुजार हैं वह अल्लाह का हुक्म समझ कर अपने शौहर की इताअत में कोताही न करें, उस के घर पर न होने पर उस की आब्रू उसके माल व सामान की देख रेख रखें। अल्लाह ने औरत के हुकूक मर्दों से दिलवाए हैं वह भी अल्लाह के हुक्म से मर्दो के हुकूक की अदाएगी में कमी न करें। आगे हुक्म है ऐ नेक शौहरो अगर तुम अपनी बीवियों की ऐसी आदतें देखो कि तुम को उन के बे राह होने का खतरा हो तो तुम उन को शरीअत के अहकाम सुनाकर उन को समझाओ कि वह अपनी आदतें बदलें अगर समझाने से वह न सुधरें तो उन को उन के बिस्तर पर अकेला छोड़ दो और बे रुखी इख्तियार करो, अगर इस पर भी वह अपनी आदत न सुधारें तो उन को हल्की मार मारो, यह मारना सजा नहीं है बल्कि तुम्हारी नागवारी का इजहार है। हो सकता है वह सीधे रस्ते पर आजाए और जब वह सुधर जाएं और तुम्हारा कहना मानने लगे तो अब उन के पीछे मत पड़ो उन के ऐब न ढून्ढो कि बेऐब तो अल्लाह बुजुर्ग है और बड़ाई तो उसी को हासिल है।

फिर भी अगर मुआमला न सुधरे तो मिया बीवी के मुतअल्लिकीन अगर देखें कि दोनों में दुशमनी बढ़ती जा रही है। तो एक दीनदार इन्साफ पसन्द शख्स बीवी की तरफ से और एक शौहर की तरफ से मुकर्रर करें यह दोनों हजरात शौहर और बीवी से मिलकर झगड़ों को दूर करने और मेल कराने की कोशिश करें इनशाअल्लाह कामयाबी होगी बैशक अल्लाह तआला बीवी और दोनों मुकर्रर किये गये हकमों की नीयत से वाकिफ है।

खुदा न करे मियाँ बीवी में बिगाड़ पैदा हो लेकिन अगर शैतान उन में फूट डाल दे तो यह शरअी हल है और याद रखें कि "ईमान वालों और उस पर भरोसा करने वालो पर शैतान का दाँव नहीं चलता उस का दाँव तो उस पर चलता है जो उस को अपना दोस्त बना लेता है, और उन पर भी उस का दाँव चलता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं तो आईये हम यह कलमा दुहराएं :–

आमन्तु बिल्लाहि व तवक्कल्तु अलैहि, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल् करीमि।

❑❑

हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) पर नुबुव्वत खत्म हो चुकी

आपके बअद न जिल्ली नबी की गुंजाइश है न बुरूजी की न उम्मती की।

मिर्जा गुलाम अहमद जिल्ली व बुरूजी नबी होने का दअवा कर के इस्लाम से निकल गया, लिहाजा मिर्जाई अहमदीयों की बात मानकर खुद इस्लाम से न निकलो बल्कि उन से तौबा करा कर उनको इस्लाम में वापस लाओ, यह न कर सको तो उन से दूर रहो। अहादीस मुलाहजा हों –

हदीस : सहीह मुस्लिम में हज़रते सौबान रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग खूब झूठ बोलने वाले पैदा होंगे उनमें से हर एक दअ्वा करेगा कि मैं सन्देष्टा हूँ परन्तु मैं अन्तिम सन्देष्टा (नबी) हूँ मेरे पश्चात कोई सन्देष्टा नहीं। मुस्लिम ही की एक रिवायत में और है कि उस समय तक कियामत न आयेगी जब तक तीस के लगभग दज्जाल (खूब झूठ बोलने वाले) न आलें उनमें से हर एक कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।

हदीस : सहीह बुखारी में हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि ऐ लोगो नुबुव्वत से अब कुछ शेष (बाकी) नहीं रहा सिवाय अच्छे स्वप्नों के। (अर्थात आदमी अच्छे अच्छे स्पन तो देखेगा परन्तु अब वह्य न आयेगी कि नुबुव्वत समाप्त हो चुकी।)

हदीस : सुनने तिर्मिजी में अुक्बा बिन आमिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यदि मेरे पश्चात कोई नबी होता तो वह अुमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हुमा होते। (अर्थात मेरे पश्चात अब कोई नबी न आयेगा।)

हदीस : सहीह बुखारी में हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रते अली रजियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम मेरे साथ ऐसे हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बस अन्तर यह है कि मेरे पश्चात कोई नबी नहीं। (अर्थात हारून तो नबी भी थे तुम नबी नहीं हो सकते इस लिये कि नुबुव्वत समाप्त हो चुकी।)

हदीस : सुनने दारमी में हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मैं तमाम रसूलों का पेशवा (नेता) हूँ और कोई गर्व नहीं, और मैं ख़ातिमुन्नबिय्यीन (अन्तिम सन्देष्टा) हूँ और कोई गर्व नहीं और मैं क़ियामत के दिन पहला शफ़ाअत करने वाला और क़बूल होनी वाली शफ़ाअत वाला हूँगा और कोई गर्व नहीं।

(शेख़–ए–दावत व इर्शाद नदवतु उलमा लखनऊ)

□□

जगनायक

अपनी जिन्दगी के दूसरे विभागों में भी गैर अल्लाह की अकीदत (श्रद्धा) व इबादत दाखिल (प्रवेश) करली, जानवरों के सिलसिले में भी तरह तरह के अकीदे गढ़लिये उनमें "बहीरह" साइबह, वसीलह, और हामी नाम से जानवरों को खास कर देते और उनको इस्तेमाल (प्रयोग) न करते और उनके बारे में तरह तरह के अकीदे बनालिये थे जिनकी सख्त बुराई कुरआन मजीद में आई है :–

"अल्लाह ने न कोई "बहीरा" ठहराया है और न "सायबा" और न "वसीला" और न "हाम" परन्तु इन्कार करने वाले अल्लाह पर झूठ का आरोपण करते हैं।"

(अल–माइदा–103)

इसमें सन्देह नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत से पहले फैजइलाही (अल्लाह की दानशीलता) की हलकी किरनें अरब में फैलना शुरू हो गई थीं, चुनाँचि "किस बिन साइदह" "वरकह बिन नौफल" उबैदुल्लाह बिन जहश" उस्मान बिन हुवैरस और जैद बिन अमर बिन नुफैल ने बुत परस्ती से इन्कार कर दिया था, उनमें वरकह बिन नौफल और उसमान बिन हुवैरस ने "नसरानियत" अपना लिया और "जैद बिन अमर" ने नसरानियत नहीं अपनाई लेकिन अपने बाप–दादा की बुत परस्ती का तरीका छोड़ दिया।

□□

हिन्दुस्तानी ज़बान

एम0 हसन अंसारी

(इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष (1929–1961) और उर्दू साहित्यकार डाक्टर एजाज हुसैन की आप बीती "मेरी दुनिया' जो कारवाँ पब्लिशर्स 7–मेन्टो रोड़, इलाहाबाद से 1965 में प्रकाशित हुई है, से उद्धरित– पेज 188–191)

"आजादी हासिल होने से कोई 15–20 साल पहले यह सवाल पैदा हुआ कि आजाद हिन्दुस्तान की जबान उर्दू होगी या हिन्दी, उर्दू वाले अपनी कह रहे थे और हिन्दी वाले अपनी। सियासी लीडरों के लिये यह मसअला भी अहम बन गया अन्देशा था कि यह मताल्बा कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिये मुसीबत न बन जाये। सोचते सोचते महात्मा गाँधी और दूसरे गुत्थी सुलझाने वालों ने यह तय किया कि आजाद हिन्दुस्तान की जबान हिन्दुस्तानी होगी। लिपि नागरी और उर्दू दोनों कायम रहेंगी, लेकिन अल्फाज और जुमले (शब्द और वाक्य) ऐसे होंगे जो सब की समझ में एकसाँ (समान रूप से) आजायें, चाहे वह लोग उर्दू के बिही ख़्वाह (शुभ चिन्तक) हों या हिन्दी के हमदर्द हों। हस्ब मामूल यह फैसला भी बहस व मुबाहिसः की मंजिलें तय करता रहा, लेकिन दरमियानी गवर्नमेन्ट ने इस वकफः में जब हिन्दुसतानियों को वक्ती तौर पर सूबों की कारगुजापरी में काफी से ज्यादा इख्तियार मिल गया, हिन्दुस्तानी की इशाअत (प्रचार प्रसार) शुरू कर दी, स्कूलों के निसाब (पाठयक्रम) में जो किताबें माँगी गयीं उनके लिये भी यह कैद लगा दी गयी कि जबान ऐसी हो जो हिन्दी उर्दू दोनों जबानों के तल्बा (विद्यार्थी) आसानी से समझ लें।

एक तब्कः इस उसूल या नजरियः के खिलाफ था, वह इस तरह का समझौता नहीं चाहता था, मगर महात्मा गाँधी के असर और इस ख्याल से भी कि मुमकिन है कि हिन्दू मुसलमान इफतराक के शिकार हो जायें। अकसर दूर अन्देश हजरात इस फैसले और कारगुजारी के मुवाफिक (पक्षधर) भी थे। डाक्टर तारा चन्द मुवाफिकीन में थे, बल्कि कहना चाहिये कि इस तहरीक (आन्दोलन) को कामयाब बनाने वालों की सफे अव्वल में थे। इसी नुकत–ए–नजर से एक लुगत (शब्द कोष) भी तैयार करा रहे थे, एक रिसालः भी इसी मकसद को पूरा करने के लिये इलाहाबाद से निकाल रहे थे। अपने घर पर एक ऐसी भी सुहबत (संतसंग) कायम की थी जिस में शोअरा अपना कलाम हिन्दुस्तानी जबान में पेश करें। लोग काफी दिल चस्पी ले रहे थे, चुनानचः मैंने कई नज्में इस मुशायरे में कहीं और पढ़ीं। बदकिस्मती से वह सारा काम तल्फ (नष्ट) हो गया। एक नज्म का एक शेर याद रह गया, वह इसलिये भी लिख देना मुनासिब समझता हूँ कि हिन्दुस्तानी जबान का मफहूम (मावार्थ) कुछ वाजेह हो जाये (स्पष्ट हो जाये) शेर यह था–

नींद आँख से निकल कर बाहर खड़ी हुई थी,
पल्कों की सेज उस दिन सूनी पड़ी हुई थी।

इस सुहबत में शेर व शायरी के अलावा हिन्दी उर्दू में अफसाने और मजामीन (निबन्ध) भी पढ़े जाते थे मगर शर्त यही थी कि जबान हर एक की समझ में आ जाये।

(राजनीति क्रान्ति) सियासी इन्कलाब में यह तहरीक भी ज्यादा देर न ठहर सकी। उस वक्त के मुस्तनद व मोतबर सियासी व जेहनी रहनुमाओं के फैसले भी बदल गये; मुल्क का नक्शा ही बदल गया। उर्दू को हिन्दी का हमपल्ला रखना तो क्या मअनी, पासंग भी न रहने दिया गया। यह सब कुछ हुआ मगर डाक्टर तारा चन्द अब तक अपनी राय पर अटल हैं। उनकी उर्दू की तहरीर देखिये उसका साँचा वही है जो बनते बनते बिगड़ गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द की कुल हिन्द कान्फ्रेंस की सदारत करते हुए सन् 1958 में डाक्टर तारा चन्द ने खुतब–ए–सदारत की इब्तदा इन अल्फाज में की थी–

"दोस्तो! आपने मुझे अन्जुमन तरक्की उर्दू हिन्दी की इस आल इण्डिया कान्फ्रेन्स की सदारत के लिये।

शेष पृष्ठ 21

क़िस्त 18

हम कैसे पढ़ायें?

शिक्षकों के लिए

– डॉ. सलामत उल्लाह

कर्नल पारकर मेथड

''सामूहिक विषय'' के सिद्धान्त पर आधिारित कुछ और स्कीमें भी हैं, जिन में से कुछ एक का उल्लेख कर देना मुनासिब होगा। जिस तरह हरबार्ट के अनुयाइयों ने अपनी इस्कीम में इतिहास को केन्द्रीय हैसियत दी है उसी तरह कर्नल पारकर ने जो अमरीका के एक विख्यात शिक्षाविद हैं प्रकृति के अध्ययन को बुनियादी विषय करार दिया है। उन्हों ने इस सिलसिले में काफी लिट्रेचर प्रकाशित किया है। उनका कहना है कि चूँकि बच्चा प्राकृतिक चीजों से बहुत दिलचस्पी रखता है इस लिये प्रकृति–अध्ययन से अधिक और कोई दूसरा विषय केन्द्रीय विषय की हैसियत से उपयुक्त नहीं है। उन का सुझाव है कि भाषा और साहित्य का चयन साइंस के पाठों के अनुसार होना चाहिये। जैसे बिजली के पाठ के सिलसिले में फिराडे की जीवनी पढ़ाई जा सकती है। इसी तरह दूसरी इजादों और खोजों के बारे मं सम्बन्धित लोगों के प्रयास भाषा के पाठों के लिये बहुत मुनासिब और दिलचस्प विषय–वस्तु का काम देगी। 'प्रकृति–अध्ययन' और 'भूगोल' का सम्बन्ध करीबी और स्वाभाविक है। प्रकृति के अध्ययन में भूगोल की अनेक घटनायें बताई जा सकती है, जैसे पौधों के बढ़ने के लिये एक खास किस्म की जलवायु और मिट्टी की जरूरत का एहसास कराया जा सकता है और फिर जलवायु के प्रभाव जो दूसरी चीजों और विशेषकर मानव जीवन पर पड़ते हैं, स्पष्ट किये जा सकते हैं। निरीक्षण के काम में बहुत सी गणित की विषय–वस्तु भी प्राप्त की जा सकती है। नीचे दिये गये चित्र में इस विधि को स्पष्ट किया गया है–

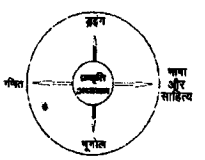

इस विधि की खामियाँ

लेकिन यह स्कीम भी कभी कभी बड़ी हास्यास्पट सूरत इख्तियार कर लेती है। साहित्य और भाषा का सम्बन्ध इतना प्रकृति–अध्ययन के साथ नहीं है जितना कि इन्सानी सबकों के साथ है और इसी तरह गणित और प्रकृति–अध्ययन में करीबी तअल्लुक पैदा करने का प्रयास दोनों के शिक्षण को खराब करने का कारण बन सकता है। ''प्रकृति'' के पाठों में उन विवरण पर जोर देना जो गिनने, तौलने और नापने के अवसर प्रदान करते हैं, प्रकृति–अध्ययन की आत्मा को मिटा देता है, और हिसाब की तालीम भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि इस के विधिवत अभ्यास के लिये पर्याप्त अवसर नहीं मिलते जो कि हिसाब की तालीम के लिये बेहद जरूरी है।

प्रोजेक्ट मेथड

अमरीका के एक मशहूर अध्यापक किल पौट्रिक ने सीखने की एक नयी और लाभप्रद विधि निकाली है। इसे प्रोजेक्ट मेथड़ कहते हैं। इस विधि में किसी विशेष विषय को केन्द्र नहीं बनाया जाता है, बल्कि होता यह है कि बच्चे किसी काम के करने या किसी चीज के बनाने का मंसूबा करते हैं। टीचर उन के इस काम में मार्ग दर्शन और मदद करता है। बच्चे इस काम के करने या इस चीज के बनाने की कोशिश करते हैं। काम करते समय बहुत सी समस्यायें सामने आती हैं। यह अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन में से कुछ का सम्बन्ध गणित से होता है तो कुछ का

तअल्लुक भूगोल से, कोई समस्या भाषा से सम्बन्धित होती है तो कोई प्रकृति–अध्ययन अथवा स्वास्थय सम्बन्धी ड्राइंग से अपने प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिये बच्चों को यह तमाम समस्यायें हल करनी होती हैं। इस प्रकार टीचर को उन तमाम विषयों के समन्वथित शिक्षण का अवसर मिलता है जिन से यह समस्यायें सम्बन्धित होती हैं। उदाहरण के लिये मान लिजिये कि स्कूल के करीब कोई अच्छी फलों और मिठाइयों की दुकान नहीं है। इन्टरवल के दौरान बच्चे कुछ खरीद कर खाना चाहते हैं। इस स्थिति से फायदा उठा कर तजवीज किया जा सकता है कि क्यों न बच्चे ही स्वयं अपनी एक दुकान स्कूल में खोल लें और उस से अपनी यह जरूरत पूरी कर लिया करें। अब दुकान का प्रोजेक्ट शुरू होगा लेकिन यह मालूम होना चाहिये कि इस के लिये क्या क्या करना होगा। सब से पहले स्कूल में सब की मालूमात के लिये दुकान का एक इशतिहार (विज्ञापन) निकालना होगा। इस में निबन्ध लेखन और ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी। जिस कमरे में दुकान रखी जायेगी उसे सजाने में आर्ट से काम लिया जायेगा। चीजों के खरीदने और बेचने में लिखाई पढ़ाई और हिसाब की जरूरत पड़ेगी। यह मालूम करना होगा कि दुकान की चीजें कहाँ से आती हैं और किस तरह वह बच्चों के अपने शहर या कस्बः तक पहुंचती हैं। इस प्रकार भूगोल की विषय–वस्तु मुहैया होगी। यह भी जानने की जरूरत होगी कि वह चीजें किसी खास जगह पर क्यों और किस तरह बनती या पैदा होती है। इस क्रम में सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञानसे सम्बन्धित पाठ पढ़ाये जायेंगे। स्वास्थय शिक्षा के सिलसिले में साफ और ताजा फल और मिठाई खाने और दुकान के अन्दर और बाहर सफाई रखने की जरूरत से आगाह किया जायेगा।

इस विधि की जाँच

अतः दुकान के प्रोजेक्ट में विभिन्न विषयों की टीचिंग अपने अपने मौके से होगी। और इस प्रकार विभिन्न विषयों के तहत जो जरूरी जानकारी दी जायेगी वह एक दूसरे से करीबी रिश्ता रखती होंगी। प्रोजेक्ट मेथड़ में यह बड़ी खूबी की बात है। लेकिन इस मेथड में एक बड़ी खामी यह है कि बच्चे बहुत सी बातों की जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं और उन में बाज चीजों के करने की योग्यता भी हो जाती है लेकिन इस के इल्म या काम में पुख्तागी और हुनरमन्दी पैदा नहीं होती। इस की वजह यह है कि इस विधि के अनुसार किसी काम के दौरान एक ही बात को बार बार करने के अधिक अवसर नहीं मिलते। इस से सीखी हुई बातों का पर्याप्त अभ्यास नहीं होने पाता जो कि किसी काम में महारत हासिल करने के लिये बहुत जरूरी है।

प्रोजेक्ट मेथड में बाज और भी खामियाँ हैं लेकिन हम यहाँ उन से बहस करना नहीं चाहते क्यो कि इस प्रकार की विस्तृत बहस आगे चल कर अध्याय नौ में की गयी है।

टीचिंग और हाथ का काम

अब (1946) चन्द साल से हैंडीक्राफ्ट को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा है। इस स्टेज पर जो स्कूल खोले गये हैं उन्हें माडल स्कूल कहते हैं। इन की स्थापना माने हुऐ मनोविज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित है। बच्चा स्वभाव से कुछ करना पसन्द करता है। वह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। "करके सीखना" उस के स्वभाव का बुनियादी उसूल है। हाथ का काम उसके मानसिक विकास में बड़ी मदद देता है क्योंकि हाथ पाँव की माँस पेशियाँ पट्टे के जरिये मसितष्क के उच्च सेन्टर्स से जुड़े हैं, इस लिये वह काम जिन में हाथ पैर चलाने पड़ते हैं इन उच्च सेन्टर्स के विकास के कारण होते हैं, दूसरे, हाथ के काम में न आदमी स्वयं धोखा खा सकता है न किसी दूसरे को धोखा दे सकता है।

मान लिजिये एक व्यक्ति मेज़ बना रहा है अगर उसने इस की फ्रेम में गलती की है तो फिर मेज ठीक बन ही नहीं सकती और अगर किसी तरह इसे पूरा कर भी दिया जाये तो इस की खराबी साफ जाहिर होगी। लेकिन खालिस नजरी काम में आदमी को अक्सर धोखा रहता है। वह समझता है कि वह एक चीज को जानता है मगर जाँचने पर पता चलता है कि वह नहीं जानता। हाथ का काम अपनी जाँच है। इस में इस प्रकार के धोखे की गुंजाइश नहीं है।

यों तो इतिहास के ऐतबार से यह परिकल्पना बहुत ही पुरानी है और इस ने अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में विशेष रूप धारण कर लिये, लेकिन इस सिलसिले में तीन बड़े शिक्षा विशेषज्ञ पस्तालोजी फ्रोबेल और डेवी ने खास काम किया है। पस्तालोजी ने इस विधि से अनाथों और गरीबों को शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल कायम किया। वह कहता है कि हैंडीक्राफ्ट के जरिये तालीम देने से जिस्म और दिमाग दोनों की समान रूप से ट्रेनिंग होती है जो व्यक्तित्व के पूरे सुधार के लिये बहुत जरूरी है। फ्रोबेल किंडर गार्टन का खोजकर्ता है वह अपने पाठयक्रम की बहस के दौरान में हर समय रूह के मसअले को पेशे नजर रखता है। उसके विचार के अनुसार खुदा अपने एकेश्वरवाद का प्रदर्शन चीजों की स्वजनता (यगानत) और उन की व्यवस्था के सिद्धान्त के जरिये करता है। अतः शिक्षा का निचोड़ यह है कि मनुष्य और प्रकृति में समन्वय पैदा हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बच्चों की सक्रियता को वह एक जरियः समझता है। साथ ही इस के वह इस बात पर जोर देता है कि सारे मानव प्रयोग जो ऊपर से असम्बद्ध और जुदागाना मालूम होते हैं, बच्चे के सामने जुड़े हुए रूप में पेश किये जायें। इस का मतलब यह है कि बच्चों के खेलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि उनके जरिये बच्च को विभिन्न विषयों की जरूरी मालूमात मुहैया की जा सके। अतएव इस दृष्टिकोण से मौजूदा टाइमटेबल जिस में तमाम विषयों को एक दूसरे से अलग रखते है। गलत उसूल पर आधारित है इस से बच्चे मे दुनिया की विभिन्न चीजों में स्वजनता नजर नहीं आती बल्कि वह सब अलग अलग बेतर्तीब और अव्यवस्थित दिखती हैं। और इस प्रकार शिक्षा का सही मकसद समाप्त हो जाता है क्योंकि यह जीवन–कला और ज्ञान के आपसी लगाव की अनदेखी करता है

(जारी.....)

❑❑

हिन्दुस्तानी ज़बान

मुन्तखब किया इस के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ..... मैं उर्दू और हिन्दी दोनों का भला चाहता हूँ। दोनों की तरक्की का ख्वाहाँ हूँ, दोनों को नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ..... एक ही नदी की दो धारें हैं जिन्हें जमाने की नाहमवारियों ने जुदा कर रखा है। काश कि दोबारा एक दूसरे में समो जातीं, उर्दू और हिन्दी के संगम से जो दरिया उमंड कर निकलता उस के तेज बहाव में शक व शुबह का कूड़ा साफ हो जाता, उस के निर्मल पानी का फैलाव तमाम हिन्दुस्तान की सरजमीन (धरती) को सैराब कर देता।"

उन की बेबाकी और साफगोई के सबूत में एक इकतबास (उद्धारण) इसी खुतब–ए–सदारत का पेश कर देना जरूरी मालूम होता है। पेज 10 पर लिखा है कि–

"यह कहना कि उर्दू का कोई मसकन (ठौर) नहीं और यह किसी इलाके की जबान नहीं एक खुली हुई हकीकत से इन्कार करना है। सच तो यह है और इसे ग्रेयर्सन और सोमनीति कुमार चटर्जी ने माना है कि खड़ी बोली से पहले उर्दू की अदबी जबान बनी और इस के कई सौ साल बाद यानी उन्नीसवीं सदी में इसी बोली से हिन्दी ने जन्म लिया। और यह दोनों, जबान के लेहाज से एक हैं। अफसोस है कि एक फाश (जाहिर) गल्ती को सरकार ने अपनी पालीसी का सहारा बना कर उर्दू को अपने हक से महरूम कर दिया।"

❑❑

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

मुफ़्ती मु0 ज़फर आलम नदवी

प्रश्न : अगर लड़का अमरीका में हो और लड़की हिन्दोस्तान में, निकाह का रिश्ता तै हो चुका हो, किसी अहम मजबूरी से लड़का हिन्दुस्तान जल्द न आ सकता हो ऐसी मजबूरी में अगर टेलीफोन पर निकाह कराया जाए तो दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तर : इस्लाम में निकाह के लिये जरूरी है कि ईजाब व कबूल की मजालिस एक हो इस लिये मुबाइल या फून पर निकाह दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता लड़का या लड़की में से कोई एक अमरीका या हिन्दुस्तान में किसी को अपने निकाह का वकील बना दे और वकील दो गवाहों के सामने अपने मुवक्किल की तरफ से निकाह का ईजाब करे और दूसरा फरीक उसे कबूल करे तो निकाह मुन्अकिद हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में एक ही मजलिस में इजाब व कबूल पाए जाने का फरीजा अंजाम दिया जाएगा। जो निकाह के लिये शर्त है, इस तरह निकाह हो जाएगा फुकहा ने वकील के जरीअे इस तरह के निकाह को दुरुस्त करार दिया है। (फतावा हिन्दीया 1:269)

प्रश्न : इन्टरनेट, वेब साइट, फैक्स, इ मेल, टेलीफोन कानफ्रेन्स और टेली ग्राम पर निकाह करना दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तर : निकाह के शराइत में से एक यह है कि ईजाब व कबूल एक ही मजलिस में हो जैसा कि पहले सुवाल के जवाब में गुजर चुका इस लिये इन्टरनेट, वेब साइट और इ मेल वगैरह पर निकाह करने से शरअन निकाह नहीं होगा, इसके दुरुस्त होने की सूरत यही है कि किसी को ईजाब व कबूल का वकील बनाया जाए और वह अपने मुवक्किल का निकाह इस तरह करे के मुवक्किल के वास्ते से ईजाब व कबूल एक ही मजलिस में हो जाए। अल्लामा इब्नि आबिदीन ने निकाह की इस सूरत को जाइज करार दिया है। (रददुल महतार 3:63)

प्रश्न : निकाह के वक्त लड़की से इजाजत कौन ले, आम तौर पर देखा जाता है कि निकाह पढ़ाने वाले काजी खुद दो गवाहों के साथ लड़की के पास इजाजत के लिये जाते हैं जब कि वहाँ औरतों की भीड़ होती है और काजी के लिये यह अमल आजमाइश का होता है। क्या काजी ही के लिये इजाजत लेना जरूरी है?

उत्तर : लड़की से इजाजत लेने के लिये काजी का लड़की के पास जाना जरूरी नहीं बल्कि खुद लड़की के वालिद लड़की के दो महरम रिश्तेदारों के साथ जाएं। काजी अगर नामहरम है तो उस का जाना ना मुनासिब है। ऐसे मौको पर लड़की के पास मौजूद औरतों को चादर या नकाब वगैरह से पर्दा कर लेना चाहिये कि पर्दे के अहकाम शरीअत में सख्त हैं। फिर इजाजत लेने वाला निकाह पढ़ाने वाले काजी को अपना वकील बना दे और उस की मौजूदगी में काजी ईजाब व कबूल कराए।

अच्छी शक्ल तो यह है कि निकाह के वक्त और दिन, से पहले ही लड़की का वली लड़की से जबानी या तहरीरी इजाजत ले रखे, और निकाह के वक्त खुद या काजी को इजाजत देकर अपने सामने ही काजी से निकाह पढ़वा दे। और याद रहे कि ईजाब व कबूल के वक्त इजाज़त वाले गवाहों का होना जरूरी नहीं दूसरे गवाहों से निकाह हो जायेगा लेकिन अगर वही हों तो बेहतर है और यह भी बेहतर है कि निकाह नामे पर उन ही गवाहों के नाम लिखे जाएं जो लड़की से इजाजत के वक्त मौजूद थे ताकि वह ईजाब व कबूल के भी गवाह रहें और लड़की से इजाजत लेने के भी। (अनुवादक)

प्रश्न : निकाह से पहले होने वाली जौजा को लड़का देख सकता है या नहीं?

उत्तर : शरीअते इस्लामी में निकाह से पहले पैगाम देने वाले लड़के को इजाजत है कि अगर चाहे तो होने वाली जौजा को देख

ले। नबीये करीम ने एक सहाबी से फरमाया "जब तुम किसी औरत को निकाह का पैगाम दो तो अगर यह मुम्किन हो कि उस के वह औसाफ देख सको जो निकाह में मतलूब हैं तो जरूर ऐसा करो।

(हिदायह 2:459)

अल्लामा इब्नि हजर लिखते हैं "जमहूर उलमा कहते हैं कि मंगेतर को देखने में कोई हरज नहीं मगर चेहरा और हथेलियों के अलावह और कुछ न देखे।

(फत्हुलबारी 9:157)

प्रश्न : निकाह पढ़ाते वक्त लड़की वालों ने कहा हमारा काजी निकाह पढ़ाएगा, एसी सूरत में किस को हक हासिल होगा।

उत्तर : ईजाब व कबूल कराने वाला काजी लड़की का वकील होता है लिहाजा अगर लड़की वाले, लड़के वाले काजी को इजाजत न दें तो वह निकाह नहीं पढ़ा सकता, लड़की का वकील (काजी) ही निकाह पढ़ाएगा।

प्रश्न : बालिग मुस्लिम लड़की लड़कों ने कोर्ट मैरेज कर लिया वहाँ सिर्फ एक फार्म की खाना पूरी हुई और दोनों के दस्तखत हो गये निकाह हुआ या नहीं?

उत्तर : सरकारी कानून में तो इस तरह वह मियाँ बीवी हो गये लेकिन इस्लामी कानून में दो मुस्लिम गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल के बिना निकाह न होगा। कोर्ट मैरेज करने वाले बालिग मुस्लिम जोड़े अगर उन को ईमान अजीज है तो कोर्ट मैरेज से पहले या फौरन बाद दो मुस्लिम बालिग मर्दों के सामने लड़का लड़की से कहे मैं ने तुम को अपने निकाह में लिया, लड़की कहे मैंने कबूल किया ताकि जिनाकारी से बच सके।

प्रश्न : जुमे का खुत्बा उर्दू में पढ़ना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर : जुमे के खुत्बे का रिवाज दौरे अव्वल में अरबी ही में रहा है इस लिये आम तौर से फुकहा अरबी जबान ही में खुत्बा देने को फरमाते हैं, अलबत्ता इमाम अबू हनीफा के नजदीक दूसरी जबानों में भी खुत्बा देने की इजाजत है इस लिये हिन्दोस्तानी उलमा में दोनों तरह की राए पाई जाती है, हजरत मौलाना मुहम्मद अली मोंगेरी ने जवाज का फत्वा दिया है और इस पर एक पुस्तिका "अल्कौलुल् मुहकम फी खिताबिल्मुअ़जम" नाम की लिखी है बहर हाल जहाँ अरबी जबान में खुत्बा देने का रिवाज हो वहाँ अरबी ही खुत्बा दिया जाए और जहाँ उर्दू में रिवाज हो वहाँ उर्दू में दिया जाए। जब दोनों के जवाज पर फत्वा है तो किसी पर रोक लगा कर इंतिशार न पैदा किया जाए।

प्रश्न : जुमे के खुत्ब से पहले मकामी जबान में तकरीर करना कैसा है? जब कि उस वक्त लोग सुन्नतों नीज तिलावत वगैरह में मशगूल होते हैं।

उत्तर : जहाँ के लोग अरबी जबान नहीं जानते वहाँ अरबी खुत्बे से पहले मकामी जबान में वअ़ज़ व नसीहत करना दुरुस्त है और मुफीद है। खुत्बे से पहले तकरीर का सुबूत मौजूद है रिवायतों में है कि गजव–ए–उहुद से पहले, जुमे के खुत्बे से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुछ गुफतगू फरमाया करते थे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की तलकीन (उपदेश) हुआ करती थी। हजरत अबू हुरैरह (रजि0) के बारे में सीरत की किताबों में आता है कि आप शाहाने बनू उमय्या के जमाने में खुत्बे से पहले वअज फरमाया करते थे।

(सियर अअ़लामुन्नुबला 3:623)

प्रश्न : जुमे की अजान होते ही तमाम कारोबार और खरीद व फरोख्त रोक कर जुमे की नमाज की तय्यारी और मस्जिद की तरफ जाना पहली अजान से जरूरी है या दूसरी अज़ान से?

उत्तर : नमाजें जुमा के लिये मस्जिद की तरफ जाना और खरीद व फरोख्त और दूसरे कारो बार बन्द करना पहली ही अजान के बाद से जरूरी है। कुछ फुकहा इस को दूसरी अजान से जोड़ते हैं लेकिन जियाद सहीह अहनाफ के नजदीक यह जरूरी हुक्म पहली ही अजान से लागू हो जाता है।

(दुर्रुल मुख्तार अला रदिदलमुहतार 1:552)

प्रश्न : जुमे का खुत्बा शुरूअ हो जाने के बाद सुन्नत की रकअतें पढ़ना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर : खुत्बा सुनना वाजिब है इस लिये सुन्नत अदा करने के

बजाए उमर और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उस वक्त नमाज पढ़ने और बात चीत करने को ना पसन्द करते थे। इसी तरह फुकहाए हनफीया ने सराहत की है कि इमाम जब खुत्बे के लियेनिकले तो इस के बाद सुनन व नवाफिल में मशगूल होना मकरूह है। (नस्बुर्रायह 2:202)

कुछ उलमा के नजदीक एक हदीस की बिना पर दो रकअत तहीयतूल मस्जिद पढ़ना खुत्बे के वक्त भी दुरुस्त है लिहाजा आगर कोई शख्स खुत्बे के वक्त मस्जिद में दाखिल होकर दो रकअत पढ़ रहा हो तो उसको रोक कर बाहम लड़ान न पैदा करें। (अनुवादक)

प्रश्न : जुमे के खुत्बे से पहले जो मकामी जबान में तकरीर होती है क्या वह भी खुत्बे के हुक्म में है?

उत्तर : जुमे के खुत्बे से पहले मकामी जबान में जो तकरीर होती है वह खुत्बे के हुक्म में नहीं है। उस तकरीर के दौरान नमाज पढ़ी जा सकती है लेकिन चाहिये कि जरूरी सुन्नतें पढ़ कर तकरीर सुने और वअज व नसीहत से फाइदा उठायें।

प्रश्न : क्या गैर–मुस्लिमों के बर्तन में खाया–पिया जा सकता है या वे नापाक होते हैं?

उत्तर : कोई बर्तन सिर्फ इसलिये नापाक नहीं हो जाता कि वह गैर–मुस्लिमों के इस्तेमाल में है। बर्तन के नापाक होने के दो कारण होते हैं–या तो इसलिये कि उसका इस्तेमाल करने वाला वह हो, जिसका जूठा नापाक हो–जैसे कुत्ता, सूअर आदि या इसलिये कि उसमें जो चीज रखी जाए वह खुद नापाक हो–जैसे बर्तन में खून या शराब रख दी जाए।

जहाँ तक गैर–मुस्लिमों का संबंध है तो उनके जूठे नापाक नहीं होते। सभी इन्सानों के जूठे पाक हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भदेभाव नहीं। इसलिये यह स्पष्ट है कि कोई बर्तन इसलिए नापाक नहीं हो सकता कि वह गैर–मुस्लिम का है। जहाँ तक नापाकी का दूसरा कारण है तो चूंकि उन लोगों के द्वारा पकाया गया गोश्त, जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जबीहा करते हैं, हराम और नापाक हैं और इसकी आशंका है कि बर्तन उसके लिये इस्तेमाल किया गया होगा। इसी तरह कुछ जातियाँ कुत्ते, सूअर आदि का माँस भी खाते हैं, उनके बर्तनों के बारे में भी ऐसी आशंका है।

सामान्य स्थिति में यह काफी है कि इन बर्तनों को धो लिया जाए और धोने के लिये यह शर्त भी नहीं है कि उसे मुसलमान ही धोये। कोई भी धो सकता है और सामान्यतः हर कौम में खाने के बाद बर्तनों को धोने का चलन होता ही है।

मात्र आशंका के आधार पर नापाकी का फैसला नहीं किया जा सकता, इसके लिये मजबूत सबूत का होना जरूरी है। शरीअत ऐसे आदेशों में अत्यधिक उत्सुकता को पसन्द नही करती है।

हजरत उमर (रजि0) के साथ सफर मे एक आदमी ने स्थानी निवासी से पानी के एक गढ़े के बारे में पूछा कि इससे दरिन्दे तो पानी नहीं पीते हैं। हजरत उमर (रजि0) ने उस व्यक्ति को जवाब देने से रोक दिया।

हजरत उमर (रजि0) ने अपनी खिलाफत के समय में एक बार जिम्मियों पर मुसलमानों के काफिले को खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी थी स्पष्ट है कि इसके लिये बर्तन भी उनके ही इस्तेमाल हुए थे।

हाँ जहाँ नापाकी की आशंका अधिक हो जैसे यूरोप आदि स्थानों पर जहाँ विभिन्न प्रकार के भोजनों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, वहाँ उनके बर्तनों से बचना चाहिए और उनके बर्तन अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करने चाहिएं।

(जदीद फिक्ही मसाइल)

प्रश्न : प्रश्न द्वारा अब्दुल मतीन बुल्डाना तथा उत्तर द्वारा सम्पादक : नबी करीम (सल्ल0) किस मस्लक पर नमाज अदा करते थे? हनफी, मालिकी, शाफई, हंबली या दीगर?

उत्तर : अल्लाह तआला ने अपने महबूब नबी से फरमाया आप कह दीजिये कि ऐ लोगो! मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ (अर्थात उस का रसूल) हूँ वह अल्लाह जिस की बादशाही तमाम आसमानों और जमीन में है, उस के सिवा कोई मअबूद नहीं, वही जिन्दगी देता है वही मौत देता है, पस ऐसे अल्लाह पर ईमान लाओ और उस के रसूल पर ईमान लाओ जो उम्मी नबी हैं, जो खुद अल्लाह पर और

उस के अहकाम पर ईमान रखते हैं उन का इत्तिबाअ करो ता कि हिदायत पाओ। (कुर्आने मजीद 7:158)

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पठते देखो।" (हदीस)

अल्लाह का हुक्म है कि रसूल का इत्तिबाअ करो नबी का हुक्म है जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखो वैसे ही पढ़ो। बड़े खुश नसीब थे सहाब–ए–किराम जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज पढ़ते देखा फिर वैसे ही नमाज पढ़ी।

इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल में से किसी ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज पढ़ते नहीं देखा, ना ही किसी अहले हदीस कहलाने वाले ने बल्कि हुजूर सल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखने वालों को भी न देखा। मशहूर है कि इमाम अबू हनीफा (रह0) ने एक सहाबी की जियारत की है।

इन सभी मुखलिसीन ने पता लगाने की कोशिश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे किसी को सहीह हदीस से इत्तिलाअ मिली कि आप नमाज में सीने पर हाथ बाँधते थे और कुछ ताबिइन को नमाज में सीने पर हाथ बांधे देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की परैवी में उसे अपना लिया, किसी को सहीह हदीस से इत्तिलाअ मिली.कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज में नाफ़ पर या नाफ के नीचे हाथ बांधते थे तो उस ने नाफ के नीचे हाथ बाँधने को अपना लिया। इमाम मालिक (रह0) मदीने में जिन्दगी गुजारी उन की तहकीक इरसाल की है। वह सिरे से हाथ बाँधते ही नहीं। किसी को सहीह हदीस से पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहरी नमाजो में आमीन बिल जह्र कहते थे उस ने रसूल (सल्ल0) की परैवी में आमीन बिल् जहर अपनाया, किसी को खबर मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आमीन आहिस्ता कहते थे उस ने आमीन आहिस्ता कहने को अपनाया। किसी को रफअ यदैन की इत्तिलाअ मिली तो उस ने रफअ यदैन अपनाया जिसको तर्के रफअ यदैन की खबर मिली तो उसने रफअ यदैन तर्क किया। इस तरह चारों इमामों ने वैसे ही नमाज पढ़ी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नमाज पढ़ना उन के इल्म में आया लिहाजा यह चारों इमाम और उन से नमाज सीखकर नमाज पढ़ने वाले सब हक पर हैं। अहले हदीस जो इन इमामों से हट कर, हदीस के किसी आलिम से सीख कर नमाज अदा करते हैं वह भी हक पर हैं। चारों इमाम और उनकी पैरवी करने वाले और अहले हदीस कहलाने वाले सभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करते हैं।

मेरे भाई मेरा और हमारे नदवतुल उलमा का मिशन इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन है। आप का सुवाल बाहम फूट ढालने वाला और बड़ी जुरअत का है जिस के इत्तिबाअ का सबको हुक्म है उस के बारे में आप की यह जुरअत कि आप पूछें कि वह किस इमाम का इत्तिबाअ करते थे? अस्तगफिरुल्लाह!

प्रश्न : चारों इमामों की परैवी करना या इन में से किसी एक की पैरवी करना नबी का हुक्म है या नबी, सहाबा, ताबिईन का तरीका है? दोनों प्रश्नों का जवाब कुर्आन व हदीस की रौशनी ही में दें।

उत्तर : अल्लाह तआला ने नबी की इताअत का हुक्म दिया "ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने अअमाल बरबाद मत करो। (कुर्आने मजीद 47:33) इस आयत से पता चला कि अल्लाह व रसूल की इताअत का हुक्म है।

आगे आप लिखते हैं कि इमामों की पैरवी क्या नबी का तरीका है? असतगफिरुल्लाह क्या आप की अक्ल मारी गई है नबी का हुक्म पूछना तो ठीक था लेकिन इमाम की पैरवी नबी का तरीका पूछना इस सुवाल से तकलीफ है अल्लाह आपको हिदायत दे। सभी इमामों ने नबी का तरीका अपनाया, नबी के लिये इमामों का तरीका अपनाना आप के दिमाग में आया कैसे?

सहाब–ए–किराम के बारे में भी यह सुवाल निहायत गलत है इस लिये कि वह गैर सहाबी के मतबूअ हैं न कि ताबिअ?

शेष पृष्ठ 33

इस्लाम आतंक नहीं
अनुसरणीय जीवन-आदर्श

स्वामी लक्ष्मीशँकराचार्य

मक्का! वही मक्का जहाँ कल अपमान था, आज स्वागत हो रहा था। उदारता और दयालुता की मूर्ति बने अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया, जिन्होंने आप और मुसलमानों पर बेदर्दी से जुल्म किया तथा अपना वतन छोड़ने को मजबूर किया था। आज वे ही मक्का वाले अल्लाह के रसूल के सामने खुशी से कह रहे थे–

''ला इला–ह इल्लल्लाह मुहम्मदर्रसूलुल्लाह''

और झुंड के झुंड प्रतिज्ञा कर रहे थे :

'अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह'

''मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्ल0) अल्लाह के रसूल हैं।''

हजरत मुहम्मद (सल्ल0) की पवित्र जीवनी पढ़ने के बाद मैंने पाया कि आप (सल्ल0) ने एकेश्वरवाद के सत्य को स्थापित करने के लिये अपार कष्ठ झेल।

मक्का के काफिर सत्य धर्म की राह में रोड़ा डालने के लिये आपको तथा आपके बताए सत्य पर चलने वाले मुसलमानों को लगातार तेरह सालों तक हर तरह से प्रताड़ित व अपमानित करते रहे। इस घोर अत्याचार के बाद भी आप (सल्ल0) ने धैर्य बनाए रखा। यहाँ तक कि आपको अपना वतन मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। लेकिन मक्का के मुशरिक कुरैश ने आप (सल्ल0) का व मुसलमानों का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो अपनी व मुसलमानों की तथा सत्य की रक्षा के लिये मजबूर होकर आपको लड़ना पड़ा। इस तरह आप पर व मुसलमानों पर लड़ाई थोपी गयी।

इन्हीं परिस्थितियों में सत्य की रक्षा के लिये जिहाद (यानी आत्मरक्षा व धर्मरक्षा के लिये धर्म–युद्ध) की आयतें और अन्यायी तथा अत्याचारी काफिरों व मुशरिकों को दंड देने वाली आयतें अल्लाह की ओर से आप (सल्ल0) पर आसमान से उतरीं।

पैगम्बर हजरत मुहम्मद (सल्ल0) द्वारा लड़ी गयी लड़ाइयाँ आक्रमण व आतंकवाद से बचाव के लिये थीं, क्योंकि अत्याचारियों के साथ ऐसा किये बिना शन्ति की स्थापना नहीं हो सकती थी।

अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने सत्य तथा शान्ति के लिये अन्तिम सीमा तक धैर्य रखा और धैर्य की अन्तिम सीमा से युद्ध की शुरुआत होती है। इस प्रकार का युद्ध ही धर्मयुद्ध (यानी जिहाद) कहलाता है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कुरैश जिन्होंने आप व मुसलमानों पर भयानक अत्याचार किये थे, फत्हे मक्का (यानी मक्का विजय) के दिन वे थर–थर काँप रहे थे कि आज क्या होगा? लेकिन आप (सल्ल0) ने उन्हें माफ कर गले लगा लिया।

पैगम्बर हजरत मुहम्मद (सल्ल0) की इस पवित्र जीवनी से सिद्ध होता है कि इस्लाम का अन्तिम उद्देश्य दुनिया में सत्य और शान्ति की स्थापना और आतंकवाद का विरोध है।

अतः इस्लाम को हिंसा व आँतक से जोड़ना सबसे बड़ा असत्य है। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसको इस्लाम से या सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय से जोड़ा नहीं जा सकता।

इस्लाम का आदर्श

अब इस्लाम को विस्तार से जानने के लिये इस्लाम की बुनियाद कुर्आन की ओर चलते हैं।

इस्लाम, आतंक है या आदर्श? यह जानने के लिये मैं कुर्आन मजीद की कुछ आयतें दे रहा हूँ जिन्हें मैंने मौलाना फतेह मुहम्मद खाँ जालन्धरी

द्वारा हिन्दी में अनुवादित और महमूद एंड कम्पनी मरोल पाइप लाइन मुम्बई 59 से प्रकाशित कुर्आन मजीद से लिया है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुरआन मजीद का अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी आयत का भावार्थ जरा भी बदलने न पाए, क्योंकि किसी भी कीमत पर यह बदला नहीं जा सकता। इसीलिये अलग–अलग भाषाओं में अलग–अलग अनुवादकों द्वारा कुर्आन मजीद के किये गये अनुवाद का भाव एक ही रहता है।

कुर्आन की शुरुआत 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम' से होती है, जिसका अर्थ है–'शुरु अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु है।'

ध्यान दें। ऐसा अल्लाह जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है वह ऐसे फरमान कैसे जारी कर सकता है, जो किसी को कष्ट पहुंचाने वाले हों अथवा हिंसा या आतंक फैलाने वाले हों? अल्लाह की इसी कृपालुता और दयालुता का पूर्ण प्रभाव अल्लाह के रसूल (सल्ल0) के व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलता है।

कुरआन की आयातें से व पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल0) की जीवनी से पता चलता है कि मुसलमानों को उन काफिरों से लड़ने का आदेश दिया गया जो आक्रमणकारी थे, अत्याचारी थे। यह लड़ाई अपने बचाव के लिये थी। देखें कुर्आन मजीद में अल्लाह के आदेश :

और (ऐ मुहम्मद! उस वक्त को याद करो) जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुम को कैद कर दें या जान से मार डाले या (वतन से) निकाल दें तो (इधर) खुदा चाल चल रहा था और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। (कुर्आन, 8:30)

ये वह लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिये गये (उन्होंने कुछ कुसूर नहीं किया) हाँ, यह कहते हैं कि हमारा परवरदिगार खुदा है और अगर खुदा लोगों को एक–दूसरे से न हटाता तो (राहिबों के) पूजा–घर और (ईसाइयों के) गिरजे और (यहूदियों की) और (मुसलमानों की) मस्जिदें, जिनमें खुदा का बहुत–सा जिक्र किया जाता है, गिरायी जा चुकी होतीं। और जो शख्स खुदा की मदद करता है, खुदा उसकी जरूर मदद करता है। बेशक खुदा ताकत वाला और गालिब (यानी प्रभुत्वशाली) है।

(कुर्आन, 22:42)

ये क्या कहते हैं कि इसने कुर्आन खुद से बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी दस सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिस–जिसको बुला सकते हो, बुला भी लो।

(कुरआन, 11:13)

(ऐ पैगम्बर!) काफिरों का शहरों में चलना–फिरना तुम्हें धोखा न दे।

(कुर्आन, 3:196)

जिन मुसलमानों से (ख़ामख़ाह) लड़ाई की जाती है, उनको इजाजत है (कि वे भी लड़ें) क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा (उनकी मदद करेगा, वह) यकीनन उनकी मदद पर कुदरत रखता है।

(कुर्आन, 22:39)

और उनको (यानी काफिर कुरैश को) जहाँ पाओ, कत्ल कर दो और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है (यानी मक्के से) वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो।

(कुर्आन, 2:191)

जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यह सजा है कि कत्ल कर दिये जाएं या सूली चढ़ा दिये जाएं या उनके एक–एक तरफ के हाथ और एक–एक तरफ के पाँव काट दिये जाएं। यह तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत (यानी कियामत के दिन) में उनके लिये बड़ा (भारी) अजाब (तैयार) है। हाँ, जिन लोगो ने इससे पहले कि तुम्हारे काबू आ जाएं, तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है।

(कुर्आन, 5:33–34)

इस्लाम के बारे में झूठा प्रचार किया जाता है कि कुर्आन में अल्लाह के आदेशों के कारण ही मुसलमान लोग गैर–मुसलमानों का जीना हराम

कर देते हैं, जबकि इस्लाम में कहीं भी निर्दोषों से लड़ने की इजाजत नहीं है, भले ही वह काफिर या मुशरिक या दुश्मन ही क्यों न हों। विशेष रूप से देखिए अल्लाह के ये आदेश :

जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में ंग नहीं की और न तुम को तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इन्साफ का सुलूक करने से खुदा तुम को मना नहीं करता। खुदा तो इन्साफ करने वालों को दोस्त रखता है। (कुर्आन, 60:8)

खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है, जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुम को तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, तो जो लोग ऐसों से दोसती करेंगे, वही जालिम हैं।

(कुर्आन, 60:9)

ज्यादती का निषेध

और जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। (कुर्आन, 2:190)

ये खुदा की आययतें हैं, जो हम तुम को सेहत के साथ पढ़कर सुनाते हैं और अल्लाह अह्ले–आलम (अर्थात जनता) पर जुल्म नहीं करना चाहता। (कुर्आन, 3:108)

इस्लाम का प्रथम उद्देश्य दुनिया में शान्ति की स्थापना है, लड़ाई तो अन्तिम विकल्प है और यही तो आदर्श धर्म है, जो नीचे दी गयी इस आयत में दिखायी देता है :

(ऐ पैगम्बर!) इन्कारियों से कह दो कि अगर वे अपने फेलों से बाज आ जाए, तो जो हो चुका, वह उन्हें माफ कर दिया जाएगा और अगर फिर (वही हरकतें) करने लगेंगे तो अगले लोगों का (जो) तरीका जारी हो चुका है (वही उनके हक में बरता जाएगा)। (कुर्आन, 8:38)

इस्लाम दुश्मानों के साथ भी सच्चा न्याय करने का आदेश, न्याय का सर्वोच्य आदर्श प्रस्तुत करता है। इसे नीचे दी गयी आयत में दीखिए

ऐ ईमान वालो! खुदा के लिये इन्साफ की गवाही देने के लिये खड़े हो ज़ाया करो और लोगों की दुश्मनी तुम को इस बात पर तैयार न करे कि इन्साफ छोड़ दो। इन्साफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है।

(कुर्आन, 5:8)

इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं है ऐसा करने वाले को एक ही सजा है खून के बदले खून। लेकिन यह सजा केवल कातिल को ही मिलनी चाहिए और इसमें ज्यादती मना है इसे ही ो कहते हैं सच्चा इन्साफ! देखिए नीचे दिया गया अल्लाह का यह आदेश :

और जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है, उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर (यानी शरीअत के फत्वे के मुताबिक) और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हम ने उसके वारिस को इख्तियार दिया है (कि जालिम कातिल से बदला ले) तो उसको चाहिए कि कत्ल (के किसास) में ज्यादती न करे कि वह मंसूर व फत्हयाब है।

(कुर्आन, 17:33)

हिंसा (फसाद) करने की इजाजत नहीं है। देखिए अल्लाह का यह आदेश :

लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और धरती में फसाद न करते फिरो। (कुर्आन, 26:183)

जालिमों को अल्लाह की चेतावनी

जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इन्साफ करने का हुक्म देते हैं, उन्हें भी मार डालते हैं उनको दुख देने वाले अजाब की खुश खबरी सुना दो।

(कुर्आन, 3:21)

सत्य के लिये कष्ट सहने वाले, लड़ने–मरने वाले ईश्वर की कृपा के पात्र होंगे, उसके प्रिय होंगे :

तो उनके परवदिगार ने उनकी दुआ कुबूल कर ली। (और फरमाया) कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक–दूसरे की जिंस हो, तो जो लोग मेरे लिये वतन छोड़ गये और अपने घरों से

निकाले गये और सताये गये और लड़े और कत्ल किये गये मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा, जिनके नीचे नहरे बह रही हैं। (यह) खुदा के यहाँ से बदला है और खुदा के यहाँ अच्छा बदला है।

(कुर्आन, 3:195)

इस्लाम को बदनाम करने के लिये लिख–लिखकर प्रचारित किया गया कि इस्लाम तलवार के बल पर प्रचारित व प्रसारित मजहब है। मक्का सहित सम्पूर्ण अरब व दुनिया के अधिकाँश मुसलमान, तलवार के ज़ोर पर ही मुसलमान बनाए गये थे, इस तरह इस्लाम का प्रसार जोर–जबरदस्ती से हुआ।

जबकि इस्लाम में किसी को जोर–जबरदस्ती से मुसलमान बनाने की सख्त मनाही है। देखिए कुर्आन मजीद में अल्लाह के ये आदेश :

और अगर तुम्हारा परवरदिगार (यानी अल्लाह) चाहता, तो जितने लोग जमीन पर हैं, सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन (यानी मुसलमान) हो जाएं।

(कुर्आन, 10:99)

'शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा कृपालू, अत्यंत दयालु है।'

(ऐ पैगम्बर! इस्लाम के इन नास्तिकों से) कह दो कि ऐ इन्कारियो!

जिन (बुतों) को तुम पूजते हो, उनको मैं नहीं पूजता।

और जिस (खुदा) की मैं इबादत करता हूँ, उसकी तुम इबादत नहीं करते।

और (मैं फिर कहता हूँ कि) जिनकी तुम पूजा करते हो, उनकी मैं पूजा करने वाला नहीं हूँ।

और न तुम उसकी बन्दगी करने वाले (मालूम होते) हो, जिसकी मैं बन्दगी करता हूँ।

तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। (कुर्आन, 108:1–6)

ऐ पैगम्बर! अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें, तो कहना कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो खुदा के फरमाँबरदार (अर्थात आज्ञाकरी) हो चुके और अह्ले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी (खुदा के फरमाँबरदार बनते और) इस्लाम लाते हो? अगर ये लोग इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पा लें और अगर (तुम्हारा कहा) न मानें, तो तुम्हारा काम सिर्फ खुदा का पैगाम पहुंचा देना है। और खुदा (अपने) बन्दों को देख रहा है।

(कुर्आन, 3:20)

कह दो कि ऐ अह्ले किताब! जो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान एक ही (मानी ली गयी) है, उसकी तरफ आओ, वह यह कि खुदा के सिवा हम किसी की पूजा न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक (यानी साझी) न बनाएं और हममें से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज न समझे। अगर ये लोग (इस बात को) न मानें तो (उनसे) कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम (खुदा के) फरमाँबरदार हैं। (कुर्आन, 3:64)

इस्लाम में, जोर–जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन की मनाही के साथ–साथ इससे भी आगे बढ़कर किसी भी प्रकार की जोर–जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। देखिए अल्लाह का यह आदेश :

दीने इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है।

(कुर्आन, 2:256)

हाँ, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह (हर तरफ से) उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोजख (में जाने) वाले हैं। (और) वे हमेशा उसमें (जलते) रहेंगे। (कुर्आन, 2:81)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी व कुर्आन मजीद की इन आयतों के अध्ययन के बाद स्पष्ट है कि हजरत मुहम्मद (सल्ल0) की करनी और कुर्आन की कथनी में कहीं भी आतंकवाद नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम की अधूरी जानकारी रखने वाले ही अज्ञानता के कारण इस्लाम को आँतकवाद से जोड़ते हैं।

❑❑

भारत का संक्षिप्त इतिहास

मुगल काल

पिछले अंक से आगे.....

— इदारा

चुनार के लिये संघर्ष :— 1531 ई0 में जब हुमायूँ कालिजर के दुर्ग का घेरा डाले था तब उसे पूर्व में अफगानों के उपद्रव की सूचना मिली। अतएवं उसने कलिंजर का घेरा उठा लिया और चुनार के लिये प्रस्थान कर दिया। चुनार पहुंचते ही उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया परन्तु वह उसे ले न सका। चूंकि महमूद लोदी ने जौनपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, अतएवं हुमायूँ ने चुनार का घेरा उठां लिया और महमूद लोदी का सामना करने के लिये आगे बढ़ा। महमूद लोदी से छुटकारा पाने के बाद हुमायूँ ने फिर चुनार की ओर ध्यान दिया। उसने शेर खाँ से कहा कि चुनार का दुर्ग वह उसे लौटा दे और अपना अधिकार स्थापित करने के लिये हिन्दू बेग को चुनार भेज दिया। शेर खाँ ने दुर्ग पर अधिकर देने से इन्कार कर दिया। अतएवं हुमायूँ ने स्वयं भी चुनार के लिये प्रस्थान कर दिया और वहाँ पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल दिया। चार महीने दुर्ग का घेरा चलता रहा परन्तु वीर अफगानों ने मुगलों के सभी प्रयन्त निष्फल कर दियें परन्तु परिस्थितियों ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि दोनों ही पक्ष समझौता करने के लिये तैयार हो गयो। शेर खाँ अपनी शक्ति बंगाल की ओर बढ़ाना चाहता था। अतएवं वह मुगलों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता था। बंगाल का शासक नुसरत शाह शेर खाँ जैसे महत्वाकाँक्षी तथा कूटनीतिज्ञ आदमी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर आतंकित हो रहा था और वह शेर खाँ के विरुद्ध मुगलों के साथ गठबन्धन कर सकता था। इधर हुमायुं भी गुजरात के शासक बहादुरशाह की बढ़ती हुई शक्ति से चिन्तित हो रहा था और शेर खां के साथ समझोता करने के लिये आतुर हो रहा था। शेर खाँ ने इस अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। उसने हुमायूँ के साथ सन्धि की बात चीत आरम्भ कर दी। उसने हुमायूँ से प्रार्थना की कि वह दुर्ग उसके अधिकार में छोड़ दे और अपनी श्रद्धाभक्ति का परिचय देने के लिये उसने अपने तीसरे पुत्र कुत्ब खाँ को एक सेना के साथ सम्राट की सेवा के लिये भेजने का वचन दिया। हुमायूँ ने शेर खाँ की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और आगरे लौट आया। इस समझौते से शेर खाँ को अपनी आयोजनाओं के पूर्ण करने का अवसर मिल गया परन्तु हुमायूँ की प्रतिष्ठा को इससे कुछ धक्का अवश्य लगा।

शेर खाँ से समझौता करने के बाद बहादुरशाह की गतिविधि को जानने के लिये हुमायूँ ग्वालियर की ओर चला गया। इधर शेर खाँ अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में लग गया। थोड़े ही समय में उसने बिहार में अपनी स्थिति बड़ी सुदृढ़ बना ली और पूर्व के सभी अफगानों का वह नेता बन गया। उसने उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि वे संगठित होकर मुगलों का सामना करोंगे तो वह मुगलों को भारत से निकाल बाहर करेगा और एक बार फिर वह अफगानों की सत्ता को भारत में स्थापित कर देगा। इसका परिणाम यह हुआ कि दूर—दूर से अफगान लोग आकर उसके झंडे के नीचे इकट्ठा होने लगे। उसने गुजरात के शासक बहादुरशाह के साथ भी अपना सम्पर्क स्थापित कर लिया जिसने धन से उसकी बड़ी सहायता की। शेर खाँ ने एक व्यवस्थित आर्थिक नीति का भी अनुसारण करके बहुत—सा धन इकट्ठा कर लिया। इस धन की सहायता से उसने एक विशाल तथा सुदृढ़ सेना तैयार कर ली। यद्यपि शेर खाँ ने अपने पुत्र कुत्ब खाँ को कुछ सैनिकों के साथ हुमायूँ की सेवा में भेजने का वचन दिया था परन्तु उसने इस वादे को पूरा न किया और अपनी शक्ति के बढ़ाने में लग गया। उसने गंगा के किनारे—किनारे अपनी सत्ता को बढ़ाना आरम्भ किया और चुनार तक

के सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बंगाल के शासक महमूदशाह ने उसके साथ सन्धि कर ली और उसे तेरह लाख दीनार देकर अपना पीछा छुड़ाया। परन्तु शेर खाँ ने इसका यह अर्थ निकाला कि महमूद शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है और वह उसे आर्थिक कर दिया करेगा।

जब हुमायूँ आगरे लौट कर आया तब उसे शेर खाँ के इन सब कार्यों की पूरी सूचना मिली और उसे यह परामर्श दिया गया कि वह तुरन्त शेर खाँ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। परन्तु उस समय ऐसा करना सम्भव न था क्योंकि ऐसा करने के लिये नई विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसी बीच में हुमायूँ ने हिन्दू बेग को जौनपुर का गवर्नर बना कर भेज दिया और उसे यह आदेश दिया कि वह पूर्व की स्थिति से उसे अवगत कराये। इस समय शेर खाँ ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने चुनार तथा बनारस को छोड़ कर पूर्व के सभी जिलों से अपना नियंत्रण हटा लिया। हिन्दू बेग के पास उसने बहुमूल्य भेटें भेजीं और सम्राट हुमायूँ के प्रति अपनी श्रद्धा–भक्ति प्रकट की। हिन्दू बेग को पूरा सन्तोष हो गया और वह बिल्कुल निश्चित हो गया। उसने बंगाल में शेर खाँ के कृत्यों के परिणामो पर सम्भवतः विचार न किया और हुमायूँ को लिख दिया कि पूर्व की स्थिति बिल्कुल चिन्ताजनक नहीं है। अतएवं हुमायूँ निश्चित हो गया और सेना के पुनर्संगठन में लग गया।

मुश्किल से एक–महीना बीता था कि हुमायूँ को यह सूचना मिली कि शेर खाँ ने बंगाल पर फिर आक्रमण कर दिया है क्योंकि महमूद शाह ने उसे आर्थिक भेंट नहीं भेजी थी। शेर खाँ की यह माँग उचित नहीं मालूम पडती क्योंकि महमूद शाह ने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके अतिरिक्त चुनार की विधि से शेर खाँ ने हुमायूँ के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। अतएवं बिना उसकी स्वीकृति के न वह किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकता था और न उससे भेंट ही माँग सकता था। परन्तु शेर खाँ एक स्वतन्त्र शासक की भाँति व्यवहार कर रहा था। इससे हुमायूँ का सतर्क हो जाना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत–सी बातें थीं जो हुमायूँ के संदेह को बढ़ा रही थी। उसने एक विशाल सेना का संगठन कर लिया था। उसके साधनों में बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। चुनार से गौड़ तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर अपनी धाक जमा ली थी और अपनी प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि कर ली थी। वह एक बार फिर भारत में अफगान–सत्ता के स्थापित करने का स्वपन देख रहा था और उसको सम्पन्न करने के लिये अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित कर रहा था। वह सब बातें ऐसी थीं कि हुमायूँ का चुप बैठा रहना असम्भव हो गया और वह शेर खाँ के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो गया।

जुलाई 1537 ई0 में वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाने पर भी हुमायूँ ने आगरे से प्रस्थान कर दिया। कई महीने तक वह कड़ा मानिकपुर में रुका रहा। फिर वह आगे बढ़ा और नवम्बर 1537 ई0 में उसने चुनार से कुछ मील दूर अपना पड़ाव डाल दिया। अब हुमायूँ को दो में से एक कार्य करना था, या तो वह सीधे बंगाल की राजधानी गौड़ की रक्षा करने के लिये चला जाता या पहिले चुनार पर अपना अधिकार स्थापित करके तब गौड़ जाता। अफगान सरदारों ने हुमायूँ को परामर्श दिया कि वह सीधे गौड़ जाय और शेर खाँ की बंगाल–विजय की योजना को विफल बना दे। परन्तु मुगल सरदारों ने उसे समझाया कि चुनार जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग को, जो बंगाल के मार्ग में पड़ता था, शेर खाँ के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं था। इसके अतिरिक्त चुनार जीत लेने से हुमायूँ के साधनों में वृद्धि हो जायेगी, आगरे का मार्ग सुरक्षित बना रहेगा और चुनार को आधार बनाकर पूर्व के अफगानों के साथ युद्ध किया जा सकता था क्योंकि चुनार बंगाल तथा बिहार का फाटक था। सम्भवतः हुमायूँ को यह आशा थी कि बंगाल का शासक कुछ दिनों तक अपने राज्य की रक्षा कर सकेगा। वह शेर खाँ की शक्ति का ठीक–ठीक अन्दाजा न लग सका। वह यह नहीं समझता था कि शेर खाँ इतनी जल्दी बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा।

अतएवं उसने मुगल सरदारों के परामर्श को स्वीकार कर लिया कि चुनार पर आक्रमण किया जाय। रूमी खाँ ने बादशाह को यह आश्वासन दिया कि तोपखाने की सहायता से दुर्ग पर शीघ्र ही अधिकार स्थापित हो जायगा, परन्तु ऐसा न हो सका। दुर्ग को जीतने में लगभग 6 महीने लग गये। इस विलम्ब के परिणाम बड़े भयानक सिद्ध हुए। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इस भयंकर भूल के कारण "हुमायूँ को अपना साम्राज्य खो देना पड़ा।" चाहे यह विचार सर्वथा सत्य न हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सारी सेना को चुनार में 6 महीने तक लगाये रखना और शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति के रोकने का कोई प्रयत्न न करना बहुत बड़ी भूल थी। यह ठीक है कि चुनार जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग को अफगानों के हाथ में छोड़ना सर्वथा अनुचित तथा अदूरदर्शिता का काम था। परन्तु हुमायूँ को अपनी सारी सेना को चुनार में न लगाकर उसका कुछ भाग बिहार या बंगाल या गौड़ की रक्षा के लिये तुरन्त भेज देना चाहिये था। हुमायूँ ने इस अवसर पर एक और भूल की थी। जब उसने चुनार के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तब या तो उसे दुर्ग को बिलकुल विनष्ट कर देना चाहिये था या उसकी सुरक्षा की इतनी सुन्दर व्यवस्था कर देना चाहिये थी कि अफगानों के लिये फिर उस पर अपना अधिकार स्थापित करना टेढ़ी खीर बन जाती। परन्तु हुमायूँ ने इन दोनों में से एक भी काम न किया। चुनार को खो देने का शेर खाँ को कोई दुःख न हुआ क्योंकि उसने रोहतास के सुदृढ़ दुर्ग पर, जो राजा चिन्तामणि के अधिकार में था, विश्वासघात करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।

गौड़ पर हुमायूँ का अधिकार :– चुनार को जीतने के बाद हुमायूँ बनारस चला गया जहाँ उसे यह सूचना मिली कि शेर खाँ ने गौड़ पर अपना अधिकार बना लिया है। चूंकि वर्षा–ऋतु आरम्भ हो गई थी अतएवं वह शेर खाँ के साथ युद्ध करने के स्थान पर समझौता कर लेना चाहता था। परन्तु अभान्यवश समझौते की वार्त्ता सफल न हुई और विवश होकर हुमायूँ को शेर खाँ के साथ युद्ध करने का निश्चय करना पड़ा। इसी समय बंगाल के शासक महमूदशाह ने भी शेर खाँ के विरुद्ध हुमायूँ से सहायता की याचना की। हुमायूँ ने उसकी सहायत करने तथा उसे फिर बंगाल की गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर लिया था कि उसे सूचना मिली कि महमूदशाह की मृत्यु हो गई है और उसके दोनों पुत्रों का वध करवा दिया गया है। इस प्रकार हुसेनी राजवंश के समाप्त हो जाने पर हुमायूँ के लिये बंगाल में अपनी प्रभुत्वशक्ति को स्थापित करना और शेर खाँ के साथ लोहा लेना अनिवार्य हो गया। फलतः वह अपनी सेना के साथ गौड़ की ओर आगे बढ़ा। अफगानों ने थोड़ा बहुत उसका विरोध किया परन्तु गौड़ पहुंचने तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित करने में उसे कोई विशेष कठिनाई न हुई। सितम्बर 1538 ई0 में हुमायूँ गौड़ पहुंच गया और उस पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

बंगाल में विलंब :– शेर खाँ के सौभाग्य से हुमायूँ बंगाल में तीन–चार महीने रुकने के लिये विवश होगया। हुसेनी राजवंश का पतन हो जाने के कारण बंगाल में बड़ी गड़बड़ी फैल गई। अतएवं वहाँ पर शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त उसे अपनी बची हुई सेना का पुनर्संगठन भी करना था और अपनी यात्रा आरम्भ करने के पूर्व पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त कर लेनी थी। सामग्री इकट्ठा करने के लिये उसने हिन्दाल मिर्जा को उसकी जागीर तिरहुत तथा पुनिया में भेज दिया था परन्तु हुमायूं की आज्ञा से हिन्दाल आगरे चला गया। इस प्रकार हुमायूँ का उसके साथ सम्पर्क समाप्त हो गया। अपने भाई के इस व्यवहार से हुमायूँ को बड़ी चिन्ता हुई। अतएवं वास्तविक स्थिति को समझने के लिये हुमायूँ ने शेख बहलोल को भेजा। हिन्दाल के कर्तव्य–भ्रष्ट हो जाने के कारण हुमायूँ की सामग्री की कठिनाई बहुत बढ़ गई। इधर शेर खाँ ने आगरे जाने वाले मार्गों पर अपना पूरा नियन्त्रण स्थापित कर लिया था और उन पर बड़ी कड़ी दृष्टि रखी थी। इन परिस्थितियों

में बंगाल में रुक जाने और वहीं पर अपनी वापसी यात्रा की तैयारी करने के अतिरिक्त हुमायूँ के पास कोई दूसरा चारा न था। थोड़े ही दिनों में हुमायूँ को वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे यह सूचना मिली कि हिन्दाल ने प्रभुत्व–शक्ति अपने हाथ में ले ली है, शेख बहलोल की हत्या कर दी गयी है, पश्चिम की ओर से शेर खाँ पर किसी भी प्रकार से दबाव पड़ने की आशा नहीं है और बनारस से कन्नोज तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर शेर खाँ ने अपना अधिकार जमा लिया है। फलतः हुमायूँ ने शीघ्र ही बंगाल से प्रस्थान कर देने का निश्चय कर लिया।

चौसा का युद्ध :– बंगाल का प्रबन्ध जहाँगीर कुली खाँ नामक व्यक्ति को सौंप कर हुमायूँ ने आगरे के लिये प्रस्थान कर दिया। पहले हुमायूँ उत्तर के मार्ग से चला परन्तु उसे मिर्जा अस्करी ने यह सूचना दी कि अफगानों ने विरोध करने की पूरी तैयारी कर ली है और मार्ग बड़ा ही कष्ट का कीर्ण है। अतएवं हुमायूँ ने अपना मार्ग बदल दिया। मुंगेर के निकट उसने गंगा नदी को पार कर लिया और दक्षिण के मार्ग चल पड़ा। मार्ग में उसे किसी विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़ा और वह चौसा नामक स्थान पर पहुंच गया। मार्च 1539 ई0 में उसने कर्मनाशा नदी को पार किया और उसके पश्चिमी किनारे पर अपना पड़ाव डाल दिया।

शेर खाँ अपनी तैयारियों में लगा था। उसने हुमायूँ के साथ सन्धि की भी वार्त्ता आरम्भ कर दी और चुपके से उस पर आक्रमण करने की भी तैयारियाँ करता रहा। शेर खाँ के कहने से हुमायूँ नदी के दूसरे तट पर आ गया। जब शेर खाँ को यह पता लगा कि हुमायूँ के पास सामान की बड़ी कमी है और उसे अपने भाइयों से सहायता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है तब एक दिन प्रातःकाल वह मुगल सेना पर टूट पड़ा और उसे तीन ओर से घेर लिया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई और वह कर्मनाशा के तट की ओर भाग खड़ी हुई। चूंकि नदी का पुल नष्ट कर दिया गया था। अतएवं मुगलों ने नदी को तैर कर पार करने का प्रयत्न किया। लगभग सात हजार मुगलों के प्राण गये जिनमें बहुत से बड़े–बड़े अफसर भी थे। हुमायूँ स्वयं अपने घोड़े के साथ नदी में कूद पड़ा। घोड़ा नदी में डूब गया। हुमायूं भी डूबने ही वाला था कि एक भिश्ती ने अपनी मशक की सहायता से उसके प्राण बचा लिये। अफगानों ने मुगलों का पीछा किया। हुमायूँ मिर्जा अस्करी के साथ कड़ा मानिकपुर पहुंच गया और वहाँ से कालपी होता हुआ जुलाई 1539 ई0 में यह आगरा पहुंच गया। वहाँ पर उसने एक दरबार किया जिसमें उसने आधे–दिन के लिये उस भिश्ती को सिंहासन पर बिठाकर, (जिसने उसकी जान बचायी थी), उसके प्रति कुतज्ञता प्रकट की।

❑❑

आपके प्रश्नों के उत्तर

''मा अना अलैहि व अस्हाबी'' में सहाबा की इताअत का इशारा है, सहाबा सिर्फ रसूल के ताबिअ़ हैं न कि अपने बाद पैदा होने वाले इमामों के? रहे ताबिईन तो उन्होंने जब सहाबा को देखा था तो उन्होंने सहाबा की पैरवी की न कि अपने से भी कम दर्जे के इमाम की। अलबत्ता जब ताबिईन का दौर खत्म हुआ तो बहुत सी आयात व अहादीस को अअमाल के मुताबिक करने में मुखतलिफ राएं हो गईं ऐसे में फ़स अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून (अगर तम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो (16:43) लोगों ने इल्म वालों से पूछना शुरूअ किया अब उन में जो जियादा इल्म और सूझ बूझ वाले थे उनकी तरफ जियादा रुजुअ़ हुआ।

वही इमाम कहलाए! अब यह बहस का यहाँ मौकअ़ नहीं यहाँ ता यह बताना है कि ताबिईन से लेकर अब तक सारे मुकल्लिदीन मअ़े अहले हदीस फ़स अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून (16:43) के तहत सब तकलीद करते हैं। यहाँ तक कि हर मुजतहिद अपने उस्ताद का मुक़ल्लिद है वह बारहा अपने इजतिहाद में अपने उस्ताद की राए का जिक्र लाता है।

मेरे भाई! अगर आप की समझ में नहीं आया तो किसी और से पूछये। मुझे मुआफ कीजिये।

❑❑

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

एक सम्बोधन

2 अगस्त 2009 को रविन्द्रालय लखनऊ में आयोजित पयाम इन्सानियत गोष्ठी में सय्यिद अब्दुल्लाह हसनी नदवी का लाभप्रद सम्बोधन

सय्यिद अब्दुलाह हसनी नदवी

महामहिम अध्यक्ष महोदय! वक्तागण! आदरणीय उपस्थित श्रोतागण–

हम आप सबका पयामे इन्सानियत फोरम की ओर से इस इतिहासिक नगर में स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन करते हैं जहाँ स्वर्गीय श्री अली मियाँ ने पयामे इन्सानियत का शुभारम्भ किया था। यह शहर शान्ति एवं प्रेम का गढ़ रहा है। यह तहजीब व संस्कृति का केन्द्र रहा है। यहाँ से राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के बहुत से काम किये गये हैं। यहाँ आपका शुभ आगमन हम सब के लिये बड़े गौरव की बात है। मैं पयामे इन्सानियत फोरम तथा इसके कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और हार्दिक हर्ष व्यक्त करता हूँ।

मनुष्यों को मनुष्यता का संदेश देना आश्चर्य की बात है। यह स्वयं हमारी अपनी कमजोरी का प्रमाण है। यदि रोगी को अपने रोग का एहसास व उपचार की चिन्ता हो जाए तो उससे रोगमुक्त होने की आशा की जा सकती है। परन्तु यदि रोगी अपने रोग व उपचार के बारे में चिंतित नहीं है तो उसका बस ईश्वर ही रक्षक है। क्योंकि देर सबेर वह दम तोड़ देगा तथा जीवितों की सूची से निकल मृतकों में शामिल हो जाएगा।

सज्जनों! हम सब इस एहसास के साथ एकत्र हुए हैं, कि एक दूसरे को खतरे से सावधान करें तथा अपने स्वास्थ व कुशलता की चिंता करने पर प्रेरित करें, क्योंकि इस समय हमारा समाज, हमारी सोइसाइटी तथा हमारा प्रवेश एक नई करवट ले रहा है। अब ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिन की कल्पना हमारे देशवासी इससे पूर्व में नहीं कर पा रहे थे। यह हमारे पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। अब इसको वैधानिक रूप से भी वैध करने का प्रयास हो रहा है।

पयामे इन्सानियत के संस्थापक तथा मानवता का दर्द रखने वाले देश के शुभ चिंतक अली मियाँ नदवी ने इस फोरम को सभ्य समाज तथा विश्वसनीय सोसाइटी की संजीवनी बताते हुए लिखा था।

वास्तव में सभ्य व अनुशासित सोसाइटी जो विश्वास संस्कार व नैतिकता की कुंजी, कर्त्तव्य का एहसास तथा त्याग व बलिदान की भावना रखती है वहीं संजीवनी है, जिससे सुख समृद्धि स्वतंत्रा व विकास की धाराएं निकलती है तथा पूरे देश को हरा भरा रखती है।

परन्तु दुःख की बात है कि आज परिदृश्य उसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है न किसी वस्तु का विश्वास है न नैतिकता नाम की कोई चीज न संस्कारों का ध्यान है न अनुशासन पालन न कर्त्तव्य का एहसास न दायित्व की परवाह तथा त्याग व बलिदान यह सब निर्रथक शब्द होकर रह गए हैं।

भौतिकवादी मानसिकता, आत्म–लाभ अहंवाद, झूठी प्रसिद्धि तथा चटोरेपन ने संपूर्ण मानव समाज को छिन्न–भिन्न कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति इसी दौड़ में लगा हुआ है और एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है।

आज यदि हम अपने समाज पर नजर डालें तो ऐसा आभास होता है कि मानव जाति का समस्त परिवार एक नौका पर सवार है और उसका कोई खेवनहार नहीं है यदि है भी तो प्रत्येक खेवनहार अपनी–अपनी ओर खींच रहा है। कोई ईश्वर से जोड़ने वाला नहीं और नाव को गन्तव्य तक ले जाने वाला नहीं।

ऐसा नहीं है कि हमारे राज नेताओं तथा बुद्धि जीवियों को इसका एहसास नहीं हुआ, उन्होंने चिंता की और संविधान बनाया, नियम

कानून बनाए, कमेटियाँ बनायी और कमीशन बिठाए। परन्तु यह काम केवल नियम कानून, पुलिस, न्यायपालिका, नये नये आयोगों और समाज सुधारक कमेटियों से होने वाला नहीं।

अमेरिका ने, यूरोप ने इसका पूरा अनुभव करके देख लिया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। परन्तु परिणाम शून्य रहा। अपराध की रिपोर्ट से इसका भली–भांति अनुमान लगाया जा सकता है।

नेशनल क्राइम ब्युरो, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स की 2007 की रिपोर्ट है कि अमेरिका में एक वर्ष में 30,16,21,157 (तीस करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार एक सौ सत्तवान) अपराध हुये।

हमारे देश ने भी इस मैदान में कदम रखा है। हत्या, बलात्कार, मद्यपान, कमजोरों का शोषण, महिलाओं से दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए नियम–कानून बनाये इसको लागू करने का पूरा प्रयास किया।

परन्तु!

मरज़ बढ़ता गया जूं–जूं दवा की

निम्नलिखित रिपोर्ट से इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं।

दहेज के कारण वर्ष 2007 में 8093 औरतों की हत्या के मुकदमें पंजीकृत किये गये, और विचारणीय बात यह है कि जो मुकदमें पंजीकृत नहीं हो सके उनकी संख्या कितनी होगी? उसका अनुमान हम समाज की मौजूदा दयनीय स्थित को देखकर कर सकते है। जहाँ तक उस अपराधिक मानसिकता की बात है। जिसके कारण महिला इज्जत की नजर से नहीं देखी जाती। उसको बोझ समझा जाता है और उससे बचने की जो नये–नये हत्कंडे अपनाये गये, उसका परिणाम क्या हुआ है? युनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट से यह विदित होता है कि नये उपकरणों ने बच्चियों के जन्मगति को तेजी से कम किया है और यह रुजहान बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जन्म से पहले या बाद में लगभग पाँच करोड़ बच्चियों से गत वर्षो में छुटकारा पाया गया। विस्तृत रिपोर्ट बड़ी दुखद है।

पश्चिम का अनुसरण इसका समाधान नहीं

क्योंकि इसने पश्चिमी संस्कृति की नकल की, हालांकि पश्चिम का मस्तिष्क मशीन और हृदय पत्थर की सिल: हैं, जो उत्पादन तो कर सकता है, परन्तु इन्सानी दुःख–दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं। इससे इन्सानियत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। हमारे एक चिंतक डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने एक युरोपियन को यह कहकर उत्तर दिया था–

तुमको चिड़ियों की तरह उड़ना आ गया,
मछलियों की तरह तैरना आ गया,
परन्तु इन्सानो जैसा चलना नहीं आया।

पश्चिम के नैतिक मूल्य भौतिक आधार पर स्थापित है। आनन्द की चाह अनुचित लाभ कमाना उसके दो पहिए हैं जिसपर उसकी गाड़ी चलती है, जहाँ न सम्बन्धों का ध्यान है न पड़ोसियों का खयाल, न रोगी और कमजोर इन्सानों से हमदर्दी और न दीन–दुखियों की सहायता की चिंता। इस लिए आनन्द के सारे साधन उपलब्ध होने के बावजूद वास्तविक आनन्द से वंचित है। फलस्वरूप आत्म–हत्या, निराशा, डिप्रेशन, मादक–पादार्थो का सेवन और हत्या व बलात्कार उनकी नियमित दिनचर्या बन गया है।

अमेरिका और युरोप की स्थित दयनीय है। एक कवि ने इस प्रकार के हालात का चित्रण करते हुए कहा था कि

ऊपर, ऊपर, फूल खिले है भीतर–भीतर आग
भाग मुसाफिर भाग, मेरे वतन से मेरे चमन से भाग

समस्या का वास्तविक समाधान

पश्चिम की नकल करना कोई चतुरता और समझदारी नहीं है। इसके लिए आज हमें पैगम्बरों (ईशदूतों) के लाये हुए सिद्धान्तों व संदेशों पर अमल करने की सीधे आवश्यकता है। क्योंकि वे हृदय को सम्बोधित करते हैं और हृदय को बदलते हैं। सोच ठीक करते हैं। इसलिए यदि दिल में बुराई है तो कानून उसे रोक नहीं सकता। उसके लिए अन्तःकरण को परिवर्तति करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मौलाना अली मियाँ नदवी ने लिखा है :–

''नैतिक कमजोरियाँ और सामाजिक बुराईयाँ इसके बिना दूर नहीं की जा सकती'' अन्तःकरण के परिवर्तन के लिए संसार के पूरे इतिहास में ईमान एवं धर्म आस्था

से बढ़कर किसी शक्ति और प्रशिक्षण का अनुभव नहीं हुआ। जब तक जनता में ईश्वर का विश्वास और उसका भय और ईश्वर के प्रति जवाब देही का खटका पैदा न होगा, तब तक नैतिकता और मानवता का सिरा हाथ न आयेगा।

मेरे मित्रो और मानव–जाति के शुभ चिन्तको।

सर्वप्रथम हम आपस में मिल–जुलकर रहना सीखें एवं एक दूसरे के दुःख–दर्द में साथ दें। हर व्यक्ति को अपना भाई समझकर उसकी सेवा–सहायता को अपना कर्तव्य समझें। ईशदूत हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा "समस्त सृष्टि ईश्वर का परिवार है और अल्लाह (ईश्वर) को सर्वाधिक प्रिय वह है जो उसके परिजनों के साथ सदव्यवहार करे।"

समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। उसे सदैव सच्चाई पर आधारित समाचार के प्रकाशन को वरीयता देनी चाहिये। क्योंकि असत्य और निराधार प्रकाशन से पाठक पथ भ्रमित होता है, बल्कि उसमें उत्तेजना भी उत्पन्न होती है। इस लिये हमें ऐसे मिथ्या प्रचार एवं संस्कृति विरोधी गतिविधियों से सदैव सावधान रहना होगा तभी हमारे समाज में सदभाव और सौहार्द का वातावरण बनेगा।

अकबर इलाहाबादी ने कहा था

नक्शे को तुम न जाँचो लोगों से मिल के देखो

इसमें थोड़ा परिवर्तन कर के कहना चाहिए।

टीवी को तुम न देखो लोगों से मिल के देखो
क्या चीज जी रही है क्या चीज मर रही है।

जब हम सब मिलकर बैठेंगे, मिलकर सोचेंगे, मिलकर अपने देश की सेवा करेंगे तो यहीं रहकर हमे स्वर्ग (जननत) का आन्नद मिलेगा।

मेरे भाइयो!

आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि उनका उल्लेख करने से सिर शर्म से झुक जाता है। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपराधों की बढ़ती हुयी संख्या, महिलाओं का शोषण बल्कि उनके साथ स्वतंत्रता के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको सामने रखा जाए तो हमारी–आपकी नींद उड़ जायेगी कि हमारे इस आदर्श देश में कभी जो प्यार था, हमदर्दी थी, आज क्या हो रहा है? प्रेम व महब्बत की डगर पर चलने वाले सूफी–सन्तों ने समाज को सुधारा और दिलो–दिमाग को बदल दिया। जिसका अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है। हमारे देश में एक महान सूफी–सन्त गुजरे हैं। जिनका नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया है। एक बार उनकी सेवा में एक सज्जन ने कैंची भेंट की। उन्होंने कैंची को स्वीकार करते हुए कहा काश कि तुम सूई लाये होते इस समय काटने वाले बहुत हैं सीने वाला कोई नहीं। इस समय जोड़ने की आवश्यकता है तोड़ने की नहीं।

बड़ी–बड़ी सरकारें आयीं और गयीं। नैतिक खराबियों और समाजिक बुराईयों का जब उनको रोग लग गया तो वह उनको बचा न सकीं और न ही आज कोई व्यवस्था बचा सकती है।

मेरे भाईयो!

इसलिए उन्हीं महापुरूषों की शिक्षाओं को जानकर उनपर चलना होगा। उन लोगों ने सदैव प्यार व महब्बत, अमन व शान्ति और संस्कृति, शिष्टाचार व नैतिकता की बात की है। आज संसार इससे अपरिचित होता जा रहा है।

इन महापुरूषों ने महिलाओं के साथ वृद्धों के साथ गरीब व दीन–दुःखियों के साथ रोगी और परेशान हाल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कभी कहा स्वर्ग (जननत) माँ के चरणों के नीचे है। कभी कहा जो लड़कियों का पालन पोषण करे, शिष्टाचार व सदाचार सिखाएं और शादी करें तो उनकी यह नेकी उन्हें नरक से बचा लेगी। कभी इस प्रकार कहा जो लोग पत्नियों पर ध्यान दें उनके लिए अच्छा प्रयास करें, खर्च करें, यह कर्म ऐसा है जैसे कि वह अपने पालनहार की उपासना में लगा हुआ है।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो सारी बुराईयों की जड़ "दुन्या, धन और दौलत की अंधी महब्बत है" उसके लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार रहता है।

पवित्र कुर्आन में उल्लेख किया गया है

"और जमीन पर कोई चलने

शेष पृष्ठ 38

दूसरी किस्त

स्वतंत्रा संग्राम में नदवतुलउलमा की भूमिका

अनुवाद - हबीबुल्लाह आज़मी

अब्दुल वकील नदवी

अब्दुल हलीम सिद्दीकी नदवी

नदवी बिरादरी के सदस्य अब्दुल हलीम सिद्दीकी मलीहाबादी जिला लखनऊ के रहने वाले थे। दारुलउलूम नदवतुल उलमा के अदीबे अव्वल (प्रथम साहित्यकार) के नाम से मशहूर थे। आप बेहतरीन भाषणकर्ता (मुकर्रिर) और अध्यापन के गौरवमय (माय–ए–नाज़) अध्यापकों में थे। काल चक्र (जमाने की गर्दिश) सामयिक अपेक्षाओं के प्रभाव और मात्र–भूमि के प्रेम ने उन्हें भी जेल की सलाखों को चूमने का अवसर दिया।

असहयोग आन्दोलन के समर्थक, जमीयतुल उलमा के हाईकमान के प्रचारक मौलाना नदवी ने देश की आजादी के लिये बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कीं। कई बार जेल गये। आप नदवतुल उलमा के कई महत्वपूर्ण अधिवेशनों 1925 से 1926 तक प्रथम पंक्ति के कार्य करताओं में शामिल रहे जब कि बहुत दिनों तक जमीयत के प्रचार केन्द्र के प्रबन्धक के पद पर भी कार्यरत रहे।

तात्पर्य यह कि सारी उम्र राजनीतिक सरगर्मी और व्यस्तताओं के कारण कोई उचित जीविका उपार्जन का साधन प्राप्त न कर सके जिसके कारण निर्धनता ने साथ न छोड़ा। इस के बावजूद रहन सहन में कोई अन्तर न आया और इसी हाल में संसार से कूच कर गये।

मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी नग्रामी

मौलाना ने प्रारम्भिक शिक्षा अपने वतन नग्राम में प्राप्त की उस के बाद 1907 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिल हुए और 1915 तक दारुल उलूम की शिक्षा प्राप्त की।

अध्यापन की निशेष सेवा के अतिरिक्त बहुत से लेख व संग्रह के कार्य किये और फिर देश में चल रही राजनीतिक गतिविध्यों में भाग लिया क्योंकि यह उस समय की सब से बड़ी आवश्यक्ता थी बल्कि हर एक हिन्दुस्तानी के जीवन की इच्छा और गौरव की बात थी। चुनाँचि 1908 में जब आर्यों ने शुद्धी का उपद्रव फैलाया तो अल्लामा शिबली ने 1912 में एक संगठन "अंजुमन खुद्दामुद्दीन" के नाम से बनाई तो मौलाना नग्रामी इस संगठन के सक्रीय कार्यकर्ता के रुप में सामने आए।

संगठन से दिली लगाव पर अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी लिखते है कि यह संगठन (खुद्दामुद्दीन) तो मिटगई उसका संस्थापक (बानी) विदा हो गया, हालात बदल गये मगर (अब्दुर्रहमान ने इस संबन्ध में जो प्रण किया था आखिर तक पूरा किया।

इसके अतिरिक्त जिस जमाने में स्वर्गीय मौलाना कोलकाता में मदरसा इस्लामिया के अध्यक्ष थे, वहाँ खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए और एक बार कोलकाता ही में खिलाफत कमेटी की तरफ से स्वागत अध्यक्ष भी नामित हुए। तात्पर्य यह कि आप अन्त तक असहयोग आन्दोलन से जुड़े रहे और आजमगढ़ और कोलकाता में बराबर आप की राजनीतिक तथा सामाजिक भाषण असहयोग अन्दोलन के समर्थन में होते रहते थे। उम्र कम पाई 27 या 28 साल बस मगर इस कम उम्री में अपने भाषण व लेखन तथा परामर्शों द्वारा एक दूरदर्षी आलिम व मार्गदर्शण की हैसियत से पहचाने जाने लगे। स्वतंत्रा संग्राम के मर्दे मैदान शैखुलहिन्द मौलाना महमूद हसन देवबन्दी से आप का सम्बन्ध इतना गहरा था कि अल्लामा सुलैमान नदवी के कथानुसार वह उनके हल्के में शामिल हो गये थे।

मौलाना मसऊद अली नदवी

खिलाफत आन्दोलन के जाँबाज सदस्य।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सेवाओं का वर्णन हो और अल्लामा शिबली की महान व्यक्तित्व का बयान न हो तो यह अन्याय होगा और

फिर अल्लामा शिबली का वर्णन हो और उनके होनहार विद्यार्थियों का नाम न आये तो उनके दूरगामी विचारों और दृष्टकोण के फैलाव में अन्याय होगा।

अल्लामा शिबली के होनहार विद्यार्थियों में एक नाम मौलाना मसऊद अली नदवी भयार्वी (बाराबंकी) हैं जो नदवतुल उलमा के विशिष्ट विद्वानों में से एक हैं। मिल्ली और मुल्की समस्याओं में बड़े ही स्क्रीय और सरगर्म ही नहीं बड़े नेताओं में से थे। दारुल मुसन्नफीन (आजमगढ़) में उन का निवास रहा करता था जहाँ उनसे मिलने आजादी के मतवाले आया करते थे। मोतीलाल नेहरु, जवाहरलाल नेहरु जो देश के पहले प्रधान मंत्री हुए वह भी उनकी क्षमता के कायल थे।

मौलाना की यह कदरदानी यूँ ही नहीं थी बल्कि 1920 से 1922 तक उनके नाम की गूंज स्वतंत्रा आन्दोलन के हर लीडर के जुबान पर थी।

मौलाना अब्दुल माजिद दरयाबादी सिदके जदीद 18 सितम्बर 1973 के खुद अपने लेख में लिखते हैं कि यह गुम नाम मोलवी अपनी जवानी में मौलाना शौकत अली के खलीफा या सहायक के रुप में जाना जाता था और जवाहर लाल का घर आनन्द भवन भी उन के आवागमन से अज्ञात न था।

मौलाना अपने प्रबन्धन की योग्यता के कारण खिलाफत आन्दोलन, असहयोग अन्दोलन में काफी मशहूर थे और राजनीतिक कार्यों में बढ़चढ़ कर भाग लेते थे और मुल्क के हर बड़े लीडर से उनके संबन्ध थे। आपकी राजनीतिक, मिल्ली, इल्मी, मुल्की और मुख्य कर स्वतंत्रा आन्दोलन सम्बन्धी जो सेवाएं है उनको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। मौलाना अबुल कलाम आजाद उन को बहुत मानते थे और उनके परामर्श के उचित होने के कायल थे और उनकी राय को बड़ा महत्व देते थे। (जारी)

❑❑

सीख

शहजाद अली अंसारी

बोलो जब भी सच बोलो
वादे को तुम वफ़ा करो
धरी धरोहर वापस दो
बद नज़री से दूर रहो
जुल्म पाप है बहुत बड़ा
मुज़लमों की मदद करो
पाप मिटाओ तौबा से
गुस्सा पीकर अक़्ल को लो
न्याय करो तो जुल्म मिटे
मोक्ष प्राप्त को धर्म पढ़ो
बहु धर्मी है देश हमारा
किसी का ना अपमान करो
सत्य धर्म इस्लाम है यारो
अंसारी की बात सुनो
सत्य पत्रिका "सच्चा राही"
सत्य ज्ञान को इसे पढ़ो

❑❑

एक सम्बोधन

फिरने वाला (जीव) ऐसा नहीं, जिसकी रोजी अल्लाह (ईश्वर) के जिम्मे न हो" (हूद : 6)

हिन्द महासागर में करोड़ों व्हील मछलियाँ हैं। एक–एक मछली 150 फिट से अधिक लम्बी होती है। 900 आदमियों के खाने के बराबर वह एक समय में खाती है। और एक भी भूख से नहीं मरती। अतः ऊपर वाला चींटीं को भी खिलाता है और व्हील मछली को भी।

मेरे भाईयों!

बड़ी तादाद में बढ़ते हुए ऐसे अपराध, हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी और कमजोरो का शोषण कि घटनाओं के बावजूद निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। आप का यहाँ आना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि मानवता जीवित है। अभी हम अपने समाज को उत्तम बना सकते है परन्तु इसके लिए दिमाग को साफ, दिल को पाक और आपको निकट आना होगा। किसी के कहने सुनने में न आयें तंगनजरी का प्रदर्शन न करें। हम सब मिल जुल कर इस काफिले को आगे बढ़ायेंगे। भंवर में फंसी मानवता की नाव को पार लगायेंगे अल्लाह (ईश्वर) हमारा सहायक हो। हम उसी के भरोसे आगे बढ़ेंगे।

उनका जो पैगाम है अहले सियासत जाने
मेरा पैगामे महब्बत है जहाँ तक पहुँचे।

❑❑

किस्त 16

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान, उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
ह़ज़ाक़त	दक्षता	ह़रकत	गति	ह़िसाब	आगणन
ह़ज़र	बचना	ह़रकते क़ल्ब	हृदय गति	ह़स्सास	भावुक
ह़ज़्फ़	विलोप	ह़रम	पत्नी	ह़स्सास	अनुभूति शील
हुर्र	स्वतंत्र	ह़रम	कअबे के गिर्द सीमित स्थान	ह़स्ब	अनुकूल
ह़रारत	ताप			ह़स्ब पसन्द	इच्छानुसार
ह़िरासत	रोध	ह़िरमान	दुर्भाग्य	ह़स्बेहाल	अवस्थानुसार
ह़राम	अवैध	हुरमत	सम्मान	ह़स्बे हुक्म	आज्ञानुसार
ह़रामी	वर्ण संकर	ह़रम सरा	अन्तः पुरी	ह़स्बुल हुक्म	आज्ञानुसार
ह़राम कारी	कुकर्म	हुर्रीयत	स्वाधीनता	ह़स्बे ह़ैसीयत	यथास्थिति
ह़र्ब	युद्ध	ह़रीर	रेशम	ह़ज़्बे ज़ेल	निम्नानुसार
ह़र्बा	शस्त्र	ह़रीस	लोभी	ह़स्बे साबिक़	यथा पूर्व
ह़रज	बाधा	ह़रीफ	विपक्षी	ह़स्बे मअ़मूल	नित्यानुसार
ह़रजाना	क्षतिपूर्ति	ह़रीम	प्राचीर	ह़सब नसब	गोत्र वंश
ह़िर्ज़	रक्षा	ह़िज़्ब	दल	ह़स्बे त़र्तीब	क्रमानुसार
ह़िर्स	लोभ	ह़िज़्बे मुखालिफ़	विरोधी दल	ह़स्बे मौकअ़	यथाअवसर
ह़र्फ़	अक्षर	ह़ज़्म	सावधानी	ह़सद	ईर्षा
ह़र्फ़शिनास	साक्षर	हुज़्न	शोक	ह़सरत	अभिलाषा
ह़र्फ़ ब ह़र्फ़	अक्षरशः	ह़ज़ीन	शोकाकुल	हुस्न	सुन्दरता
ह़िरफ़त	हस्त कौशल	ह़िस	अनुभव शक्ति	हुस्ने ज़न्न	सदभावना
ह़र्फ़ गीरी	आक्षेप	ह़िसाब	गणित	ह़िस्सी	ऐन्द्रिक

पाठक जिस उर्दू शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे अर्थ सहित छापा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

– डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

इराक पर आक्रमण होने का विरोध न करने का अलबरदाई को खेद : अतंर्राष्ट्रीय निवक्लेयाई एनर्जी एजंसी के कार्याध्यक्ष अलबरदाई ने कहा कि अमेरीका द्वारा इराक पर किया गया आक्रमण उन के जीवन का सब से असंतोषजनक क्षण था और उस का सशक्त विरोध न करने का उन्हें आज भी खेद है। मिस्टर अलबरदाई ने टाइम मैगजीन से पूछे गये दस प्रश्नों के उत्तर में कहा कि निःसन्देह यह मेरे जीवन का सब से अंसंतोष जनक क्षण था जब इराक के विरुद्ध युद्ध आरंभ हुआ जिस में हजारों लोगों के प्राण किसी ठोस वास्तविकता के आधार पर नहीं अपितु काल्पनिक बातों पर गई। इस बात से मैं आज भी कांप जाता हूं। ध्यान रहे कि अमेरीका ने यह कहते हुए इराक पर शक्तिशाली सैनिक आक्रमण कर दिया था कि बगदाद के पास बड़ी संख्या में तबाही फैलाने वाले हथ्यार हैं परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात आज तक ऐसा एक भी हथ्यार नहीं मिला है अलबरदाई ने कहा कि मुझे इराक के विरुद्ध युद्ध का सशक्त विरोध करना चाहिये था और संसार को अमेरीका द्वारा उपलब्ध पथभ्रष्ट सूचनाओं से सचेत करना चाहिये था। ईरान के विषय में प्रश्न के उत्तर में अलबरदाई ने कहा कि ईरान निवक्लेयाई हथ्यार तैय्यार कर रहा है या नहीं, इस का कोई पक्का प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है।

श्रीलंकाई टीम पर हमले में रॉ का हाथ? : इस्लामाबाद! पाकिस्तान का कहना है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम और लाहौर में पुलिस अकादमी पर हमले सहित अन्य आतंकवादी घटनाओं में भारती खुफिया एजेंसी रॉ के हाथ होने के साक्ष्य भारत को सौंपे गए हैं।

सूत्रों के हवाले से समाचार पत्र 'डान' ने कहा कि पाक में विध्वंसक गतिविधियों में भारत के शामिल होने संबंधी साक्ष्य पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने शर्म अल–शेख में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपे हैं। इन साक्ष्यों को अमेरिका और अफगानिस्तान को भी उपलब्ध कराया गया है और काबुल से पाक के खिलाफ विघटनकारी गतिविधियों के लिये अपने क्षेत्र का उपयोग रोकने को कहा गया है। अख्बार ने कहा कि टीम पर हमले व मनावन पुलिस अकादमी पर हमले में शामिल लोगों के भारतीय संपर्कों की विस्तृत जानकारी है। हमलों के जिम्मेदार लोगो से रॉ के जो संचालक संपर्क में रहे उनकी पहचान की जा चुकी है और उनके वार्तालाप के सबूत भी दस्तावेज में संलग्न हैं।

सात महीने में डूब गये 64 अमेरिकी बैंक : न्यूयार्क! अमेरिका में सात और बैंक धराशयी होने के बाद इस साल अब बंद होने वाले बैंकों की संख्या बढ़कर 64 हो गई। इस तरह अमेरिका में औसतन नौ बैंक हर महीने बंद हुए। बैंकों के बंद होने की रफ्तार से वित्तीय हालात में गिरावट स्पष्ट होती है। इस प्रकार अब तक बंद हुए बैंकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले अभी तक दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2008 में पूरे साल के दौरान 25 बैंक बंद हुऐ थे। अब तक इस महीने 18 बैंक बंद हुए हैं। बंद हुए 7 बैंकों में 6 जार्जिया की सिक्योरिटी बैंक कार्पोरेशन की सहयोगी कंपनियां हैं। फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 31 तक 2009 उक्त छह बैंको की कुल परिसंपत्ति 2.8 अरब डॉलर और जमा 2.4 अरब डॉलर की थी।

बधाई के मोहताज नही : अहमदीनेजाद : तेहरान! ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि वह पश्चिमी देशों के नेताओं के बधाई संदेश के मोहताज नहीं है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिय शपथ लेने के बाद अहमदीनेजाद ने कहा कि पश्चिमी देशों ने नई सरकार को स्वीकृति तो दी है लेकिन वे बधाई नहीं देना चाहते..अच्छा है.. ईरान में किसी को उनकी बधाई का इंतजार नहीं है।

❑❑